




भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्डस



विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना
आरआरसी-01 / 2019



7वें के.वे.आ. वेतन मेट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती



रेल सह रोड ब्रिज दीघा, पटना



केन्द्रीकृत रोजगार सूचना (सीइएन) सं. आरआरसी-01 / 2019
(7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों के लिए भर्ती)

प्रकाशन की तिथि	23.02.2019
आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ	12.03.2019 को 17.00 बजे
आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण का समापन	12.04.2019 को 23.59 बजे तक
निम्नांकित माध्यम से आवेदन शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय :	
(क) ऑनलाइन (नेट बैंकिंग / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / यूपीआई)	23.04.2019 को 23.59 बजे तक
(ख) एसबीआई चालान	18.04.2019 को 13.00 बजे तक
(ग) डाकघर चालान	18.04.2019 को 13.00 बजे तक
आवेदनों के अंतिम रूप से प्रस्तुत (सबमिट) करना	26.04.2019 को 23.59 बजे तक
कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी)	संभावित कार्यक्रम सितम्बर-अक्टूबर 2019

नोट : 1. विस्तृत सीइएन-आरआरसी-01 / 2019 को अपलोड किया जाएगा और ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन की लिंक इस सीइएन के पैरा 21.0 (क) में उल्लेखित आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइटों पर लाइव होगी।

2. सीबीटी की तिथि और भर्ती प्रक्रिया के अन्य चरणों की सूचना समय-समय पर इस सीइएन के पैरा 21.0 (ख) में यथा सूचीबद्ध रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों (आरआरसी) के वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी।

आरआरसी की ओर से आरआरबी द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों एवं इस सीइएन के पैरा-04 में यथा प्रदर्शित अन्य नागरिकों से भारतीय रेल की विभिन्न इकाइयों में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के लेवल-1 में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हर प्रकार से पूर्ण आवेदन दिनांक 26.04.2019 को 23.59 बजे तक चुने गए रेल भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

रिक्तियों के विवरण : एक नजर में

विभिन्न पदों के लिए आरआरबी एवं रेलवेवाइज रिक्तियों के संक्षिप्त विवरण तत्काल संदर्भ हेतु नीचे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सीइएन में शामिल किए गए विभिन्न पदों के पैरामीटर (अर्हता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी इत्यादि के पद की उपयुक्तता) अनुलग्नक 'क' पर है और सभी अधिसूचित पदों के लिए आरआरबी, रेलवे एवं पद-वाइज रिक्ति अनुलग्नक 'ख' पर है। बहरहाल, रेलवे को इस निर्धारण में संशोधन का अधिकार है।

क्र. सं.	रेलवे	यू.आर.	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल रिक्ति	एक्स. एसएम	सीसीएए	पीडब्ल्यू बीडी	बैकलॉग पीडब्ल्यू बीडी
1	मध्य रेलवे	3597	1398	759	2656	935	9345	1870	1870	449	0
2	पूर्व मध्य रेलवे	1369	555	325	956	358	3563	713	713	166	0
3	पूर्व तटीय रेलवे	1034	412	198	653	258	2555	510	510	105	0
4	पूर्व रेलवे, सीएलडब्ल्यू एवं मेट्रो	4926	1461	775	2619	1087	10873	2175	2175	589	5
5	उत्तर मध्य रेलवे एवं डीएलडब्ल्यू	2080	678	317	1175	474	4730	948	948	145	6
6	पूर्वोत्तर रेलवे, एमसीएफ एवं आरडीएसओ	1570	615	307	1107	403	4002	802	802	157	0
7	उत्तर पश्चिम रेलवे	2132	814	384	1393	526	5249	1049	1049	324	0
8	पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे	1119	449	226	809	291	2894	575	575	144	0
9	उत्तर रेलवे,	5144	2017	1031	3644	1317	13153	2630	2630	626	0

	डीएमडब्ल्यू एवं आरसीएफ										
10	दक्षिण मध्य रेलवे	3663	1432	722	2577	934	9328	1867	1867	125	0
11	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	797	219	115	366	167	1664	333	333	84	0
12	दक्षिण पूर्व रेलवे	1933	738	361	1305	482	4914	965	965	215	95
13	दक्षिण पश्चिम रेलवे एवं आरडब्ल्यूएफ	2745	1138	557	2006	715	7167	1433	1433	193	6
14	दक्षिण रेलवे एवं आइसीएफ	4363	1353	787	2118	958	9579	1914	1914	222	0
15	पश्चिम मध्य रेलवे	1596	633	308	1080	402	4019	804	804	226	0
16	पश्चिम रेलवे	4287	1647	812	2914	1074	10734	2146	2146	556	0
	कुल योग	42355	15559	7984	27378	10381	103769	20734	20734	4326	112

सीसीए के अंतर्गत रिक्तियां केवल रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों पर लागू हैं।

नोट :

1. एससी, एसटी, ओबीसी-(नॉन क्रीमिलेयर), इडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स.एसएम हेतु आरक्षण एवं विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट इस सीइएन में विवरण के अनुसार लागू होंगे।
2. उपर्युक्त रिक्तियों में पीडब्ल्यूबीडी का बैकलॉग भी है।
3. निम्नांकित जोखिम भरे परिचालनिक पदों की रिक्तियों में पीडब्ल्यूबीडी को आरक्षण कार्य अपेक्षाओं के कारण नहीं दिया जा सकता है।

क्र. सं.	पदनाम	कुल रिक्ति
1	असिस्टेंट प्वाइंट्समैन	14870
2	असिस्टेंट ब्रिज	913
3	ट्रैक मेन्टेनर ग्रेड-IV	40721
	कुल	56504

बहरहाल, उपर्युक्त पदों की रिक्तियों में पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण के संबंध में अपेक्षित प्रतिशतता को अन्य शेष पदों की रिक्तियों में समायोजित कर लिया गया है जहां पीडब्ल्यूबीडी को आरक्षण दिया जा सकता है।

महत्वपूर्ण निर्देश-ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन जमा करना

1. उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् 12.04.2019 को पदों के लिए निर्धारित सभी पात्रता रखते हैं/पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। कृपया निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें।
2. ऑनलाइन आवेदन के भरने से पूर्व, उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस अधिसूचना के सीइएन में एवं आरआरबी के वेबसाइटों पर उपलब्ध सभी निर्देशों और सूचनाओं को अच्छी तरह से पढ़ लें।
3. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस सीइएन के पैरा 21.0 (क एवं ख) में निर्दिष्ट आरआरबी/आरआरसी की केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएं तथा नकली वेबसाइटों और जॉब रैकेटर्स से बहुत सावधान रहें।
4. उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नम्बर एवं वैध तथा सक्रिय (चालू) वैयक्तिक ई-मेल आइडी होने चाहिए और भर्ती की पूरी अवधि तक उन्हें सक्रिय रखना चाहिए क्योंकि आरआरबी/आरआरसी द्वारा भर्ती के पूर्णतया पूरी होने तक भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं केवल एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी। आरआरबी/आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल पते में परिवर्तन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। इस सीइएन के अंतर्गत एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आइडी के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति है।

5. इस सीइएन के पैरा 21.0 (क) में सूचीबद्ध आरआरबी की वेबसाइटों के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाने हैं। इस सीइएन में इसके सभी अधिसूचित पदों के लिए चयनित रेलवे को केवल एक आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उम्मीदवार केवल एक रेलवे को आवेदन कर सकता है। एक से अधिक रेलवे को आवेदन के परिणामस्वरूप सभी आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस सीइएन के लिए किसी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने के किसी प्रयास के परिणामस्वरूप उसे निरर्ह(अयोग्य) और विवर्जित(डिबार) करार कर दिया जाएगा।
6. उम्मीदवारों को रिक्ति तालिका को पढ़ना, अपनी पात्रता सुनिश्चित करना और तब उनकी पात्रता के अनुसार चुने गए रेलवे के अंतर्गत रेलों एवं पदों के लिए विकल्प देना अपेक्षित है। रेलवे का एक बार किया गया चयन अंतिम होगा।
7. ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही उम्मीदवार की पात्रता पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र या प्रमाणपत्र या उनके फोटोकॉपी के प्रिंटआउट संबंधित आरआरबी को डाक के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि भर्ती के किसी भी चरण में अथवा उसके पश्चात् यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी सूचना मिथ्या/गलत है अथवा उम्मीदवार ने कोई संबंधित सूचना छिपाया है अथवा उम्मीदवार पद(ों) के लिए अपेक्षित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तो उसकी पात्रता अस्वीकृत कर दी जाएगी। आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् भी, परन्तु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर, संशोधन शुल्क जमा कर उम्मीदवार आवेदन विवरण में चुने गए रेलवे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के अतिरिक्त अन्य विवरणों को संशोधित कर सकता है किन्तु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि(दि. 26.04.2019) के पश्चात् आवेदन में दी गई जानकारी के संशोधन के लिए प्रस्तुत किसी भी अभ्यावेदन पर आरआरबी/आरआरसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
8. उम्मीदवारों को यह सूचित करना होगा कि वे आवेदित पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। आवेदित पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाने पर उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं प्रदान की जाएगी।
9. केंद्र/शहर का आवंटन तकनीकी और तार्किक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। उम्मीदवारों को सीबीटी/पीइटी में भाग लेने के लिए अन्य शहरों/राज्यों की यात्रा करनी पड़ सकती है। परीक्षा केंद्र में परिवर्तन हेतु अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. अंतिम क्षणों में भीड़ (व्यस्तता) से बचने के लिए उम्मीदवारों को उन्हीं के हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दें, क्योंकि अंतिम दिनों के दौरान इंटरनेट अथवा वेबसाइट पर भारी लोड होने के कारण संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/विफलता हो सकती है।

उम्मीदवार द्वारा अंतिम तिथि तक उपर्युक्त कारणों अथवा किन्हीं अन्य कारणों से अपने आवेदन प्रस्तुत न करने की स्थिति में आरआरबी द्वारा किसी प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश – परीक्षा प्रक्रिया

1. **कदाचार :** किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा/सीबीटी में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए और, परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजने का प्रयास करते हुए पाया गया, तो आरआरबी/आरआरसी (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) की सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति पाने से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से नियुक्त है, तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

2. **प्रतिबंधित सामग्री :-** परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, कलाई घड़ी अथवा अन्य कोई संचार उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक गजट अथवा पेन/ पेंसिल, वॉलेट/ पर्स, बेल्ट, जूते और धात्विक पहनावे या आभूषण इत्यादि लाना सख्त मना है। इन निर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पात्रता अस्वीकृत करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके हित में सूचित किया जाता है कि वे परीक्षा स्थल पर कोई प्रतिबंधित वस्तु न लाएं **क्योंकि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकती।**
3. **परीक्षा के चरण :-** यह परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षा(सीबीटी) होगी। रेल प्रशासन को एकल अथवा बहु-स्तरीय पद्धति में सीबीटी को आयोजित कराने का अधिकार है। सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। इसके पश्चात् दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच कराया जाएगा।
4. **बुलावा-पत्र :-** उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी के आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराये गए लिंक से शहर और तिथि की सूचना, ई-कॉल लेटर तथा यात्रा प्राधिकार (जहां भी लागू हो) डाउनलोड करना होगा।
5. **अंकों का सामान्यीकरण :-** बहु सत्रों में होने वाली सीबीटी के लिए अंक सामान्यीकृत किए जाएंगे। इस सूचना के पैरा 15.0 और 15.1 में दिए गए सूत्र के अनुसार अंकों का सामान्यीकरण किया जाएगा। यद्यपि रेल प्रशासन को सूत्र में संशोधन/तकनीकी अपेक्षाओं पर आधारित भिन्न सूत्र को अपनाने का अधिकार है।
6. **पीइटी के लिए शॉर्टलिस्ट करना :-** पीइटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग रेलवे/आरआरसी वाइज रिक्तियों (जो रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती हैं) के तीन गुणा की दर से की जाएगी। पीइटी की शॉर्टलिस्टिंग सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित होगी।
7. **नेगेटिव मार्किंग :-** सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 1/3 अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काट लिए जाएंगे।
8. **सीबीटी के उत्तरवर्ती चरणों के लिए रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों को बुलाया जाना :** सामान्यतः पीइटी और उत्तरवर्ती चरणों के लिए रिक्तियों की निर्धारित संख्या से अधिक उम्मीदवार बुलाए जाते हैं। ऐसा उम्मीदवारों के टर्नअप न होने और भर्ती प्रक्रिया में ऐसी ही आपात स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय है कि पीइटी के लिए बुलाए जाने और उसमें अर्हता प्राप्त करने तथा दस्तावेज सत्यापन एवं चिकित्सा जांच के उत्तरवर्ती चरणों से यह अभिप्राय नहीं है कि उम्मीदवार का नामिका तैयार किया जाएगा अथवा कि वह रेलों द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए कोई निहित अधिकार सुरक्षित रखता/रखती है।

विस्तृत सीईएन

1.0 सामान्य निर्देश

- 1.1 भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों के लिए प्रवेश पूर्णरूप से अनन्तिम होगा, जो उम्मीदवार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा।
- 1.2 उम्मीदवारों को केवल ई-कॉल लेटर जारी करने का अर्थ यह नहीं होगा कि आरआरबी/आरआरसी द्वारा उनकी पात्रता अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पात्रता अस्वीकृत की जा सकती है।
- 1.3 आरआरबी/आरआरसी सभी चरणों की परीक्षाओं में उम्मीदवारों के अर्हता प्राप्त करने और दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद ही मूल दस्तावेजों के संदर्भ में पात्रता शर्तों का सत्यापन करता है।

आरआरबी/आरआरसी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी अस्वीकृत कर सकता है, यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा करते नहीं पाए जाते हों और यदि उसे नियुक्त किया जाता है तो ऐसे उम्मीदवार को नौकरी से सरसरी तौर पर हटा दिया जाएगा।

- 1.4 इस अधिसूचना के अनुसार पद(ों) के लिए आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को स्वयं आश्वस्त कर लेना चाहिए कि वे आयु, शैक्षणिक योग्यता(एं) तथा चिकित्सा मानक(ों) सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् 12.04.2019 के अनुसार उनके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान द्वारा निर्गत अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्र है। निर्धारित योग्यता के लिए अंतिम परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले इसके लिए पात्र नहीं हैं और इसलिए उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए।
- 1.5 सूचना एवं/अथवा तथ्यों में मामूली फेरबदल के साथ एक से अधिक रेलवे को आवेदन का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन एवं/अथवा उसी रेलवे को बहु आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की सभी भावी परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- 1.6 जिन उम्मीदवारों को किसी आरआरबी/आरआरसी द्वारा आजीवन या किसी निर्दिष्ट अवधि तक वंचित किया गया है, जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें इस अधिसूचना के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए। भर्ती के किसी भी चरण के दौरान जब भी ऐसे उम्मीदवारों का पता चलता है तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- 1.7 उम्मीदवारों को अपना नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का उल्लेख केवल एसएसएलसी/मैट्रिक प्रमाण-पत्र के अनुसार करना चाहिए। यद्यपि, केवल आइटीआइ/एनएसी अर्हता वाले उम्मीदवार इन विवरणों को आइटीआइ/एनएसी प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रविष्टि कर सकता है।

नाम-परिवर्तन की स्थिति में उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में अपने परिवर्तित नाम का ही उल्लेख करना चाहिए, परन्तु अन्य विवरण मैट्रिक अथवा समतुल्य प्रमाण-पत्र से मेल होना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि अथवा ऐसे परिवर्तन संबंधी आवेदन ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि से पहले के होने चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना अथवा अन्य विधिक दस्तावेज, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

- 1.8 सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में एक समान होने चाहिए और जो रनिंग हैंड में अवश्य हों, और जो बड़े अक्षरों में, अथवा असंबद्ध अक्षरों में न हों। सीबीटी/पीइटी/डीवी(यथा लागू) के समय विभिन्न शैलियों में किए गए हस्ताक्षर के परिणामस्वरूप उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- 1.9 भागीदार आरआरबी/आरआरसी के आधिकारिक वेबसाइट पर भी परीक्षा की तिथि प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात् सीबीटी/पीइटी/डीवी(यथा लागू) के लिए ई-कॉल लेटर को संबंधित आरआरबी/आरआरसी के आधिकारिक वेबसाइटों से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। ई-कॉल लेटर में निर्दिष्ट परीक्षा केन्द्र, तिथि एवं पाली (शिफ्ट) अंकित होंगे। बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी और/अथवा पीइटी, अतिरिक्त डीवी इत्यादि कराने का अधिकार आरआरबी/आरआरसी को है।
- 1.10 सीइएन में निर्दिष्ट रिक्तियां अनन्तिम हैं और रेल प्रशासन की वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किसी उत्तरवर्ती चरण में विशेष समुदायों/पदों/इकाइयों में यह बढ़ या घट सकती है या पूरे तौर पर शून्य भी हो सकती है।

रेलवे प्रशासन को अपने विवेकानुसार अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने का अधिकार भी है तथा ऐसे निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होंगे। अधिसूचित रिक्तियां रद्द किए जाने की स्थिति में उन छूट

प्राप्त श्रेणियों के उम्मीदवार जो सीबीटी में उपस्थित हुए हैं, को छोड़कर अन्य उम्मीदवारों को शुल्क नहीं लौटाए जाएंगे। शुल्क में छूट प्राप्त श्रेणियों की जानकारी के लिए पैरा 7.0 देखें।

1.11 पद(ों) और/या रेल(ों)/यूनिट(ों) के लिए प्राथमिकता : चुने गए रेलवे में विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों के विकल्प ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान लिए जाएंगे।

भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने पर आरआरबी/आरआरसी केवल योग्य उम्मीदवारों के विकल्प के अनुसार पद और रेलवे/यूनिट आवंटित करेंगे, जो योग्यता, चिकित्सा मानक और रिक्ति की स्थिति पर निर्भर करेगा। एक बार उम्मीदवारों को उनकी योग्यता/पसंद के अनुसार नामिकाबद्ध कर लिया गया है तो वे किसी अन्य पद/श्रेणी पर विचार किए जाने के हकदार नहीं होंगे।

आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट श्रेणियों के लिए ही माना जाएगा। अगर कुछ पदों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाता है तो यह उसके लिए उनकी अनिच्छुकता के रूप में माना जाएगा।

उम्मीदवारों द्वारा विकल्प नहीं दिए जाने पर, यदि प्रशासनिक हित में आवश्यक समझा जाता हो, तो आरआरबी/आरआरसी को उन्हें पद/रेलवे/यूनिट आवंटित करने का अधिकार है, बशर्ते कि उम्मीदवार संबंधित पद की आवश्यकता को पूरा करते हों।

पैनल में रखे गए उम्मीदवारों के शॉर्टफॉल या अन्य अनिवार्यताओं के मामले में, आरआरबी/आरआरसी को उम्मीदवारों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो, तो उम्मीदवारों की अतिरिक्त सूची का उपयोग करने का अधिकार है। तथापि, यह नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए ऐसे उम्मीदवारों को कोई भी निहित अधिकार नहीं देगा।

1.12 आरआरबी/आरआरसी द्वारा चयन कर लिए जाने मात्र से ही कोई उम्मीदवार रेलवे में नौकरी प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता है। आरआरबी/आरआरसी का कार्य जोनल रेलवे के संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित करना है जो बदले में रिक्तियों की उपलब्धता और पूर्ववृत्त एवं चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंड के पूरा करने पर नियुक्ति पत्र प्रदान करता है।

1.13 चयनित उम्मीदवारों को रेलवे में कार्य ग्रहण के समय यथा लागू प्रतिभूति तथा/अथवा क्षतिपूर्ति बॉण्ड भरना होगा।

1.14 सामान्यतः किसी रेल सेवक की नियुक्ति, उसके पूर्ण सेवाकाल के दौरान, उस रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में ही रहती है, जहां उनकी पहली नियुक्ति की गयी थी तथा उन्हें किसी अन्य रेलवे अथवा अन्य स्थापना में स्थानान्तरण का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तथापि सेवा की अनिवार्यता की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा रेल सेवक को भारत अथवा भारत से बाहर किसी परियोजना सहित किसी अन्य विभाग अथवा रेलवे अथवा रेलवे स्थापना में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

1.15 अंतिम रूप से नियुक्त किए जाने वाले चयनित उम्मीदवार प्रादेशिक सेना की रेलवे इंजीनियर्स इकाई में सक्रिय सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

1.16 सिर्फ एससी/एसटी के उम्मीदवारों को निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास स्वीकार्य होगा। एससी/एसटी उम्मीदवार, जो यह मुफ्त यात्रा प्राधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय संबंधित कॉलम में 'हां' भरना होगा। ऐसे उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास ई-कॉल लेटर का भाग होगा जब उन्हें चयन के विभिन्न चरणों यथा सीबीटी/पीइटी/डीवी (यथा लागू) में भाग लेने के लिए बुलाया जाता है। निःशुल्क यात्रा प्राधिकार प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की जिम्मेदारी है कि वे ऑनलाइन आवेदन में रेलवे स्टेशन का सही नाम भरें इसके बिना उनका यात्रा प्राधिकार यात्रा तथा आरक्षण के लिए मान्य नहीं होगा।

आरक्षण तथा यात्रा के दौरान, आरक्षण क्लर्क तथा/अथवा टिकट जांच करने वाले कर्मचारी उम्मीदवार की वास्तविकता के सत्यापन के लिए उनसे एससी/एसटी के मूल प्रमाण-पत्र की मांग करेंगे। इस यात्रा प्राधिकार के दुरुपयोग किए जाने वाले किसी प्रयास के परिणामस्वरूप, उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित किए जाने के साथ ही चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उससे जुड़ा अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

1.17 आवश्यकता समझे जाने पर तथा लागू किए जाने की स्थिति में इस सीइएन के अंतर्गत भर्ती के नियमों एवं शर्तों में किसी प्रकार की अनुवर्ती परिवर्तन/ संशोधन/ संवर्धन का समावेश करने का अधिकार आरआरबी/आरआरसी को है।

1.18 आरआरबी/आरआरसी द्वारा उम्मीदवार की सहमति से उसके द्वारा आरआरबी/आरआरसी की परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा निजी संगठनों के साथ, संबंधित संगठनों की भर्ती प्रक्रिया के लिए उन्हें बताया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय इस आशय से संबंधित सहमति अथवा असहमति दी जा सकती है।

2.0 रिक्तियाँ :

2.1 सीइएन में शामिल विभिन्न पदों के पद पैरामीटर अर्थात (योग्यता, चिकित्सा मानक और पीडब्ल्यूबीडी के लिए पद की उपयुक्तता इत्यादि) अनुलग्नक-क में शामिल हैं।

2.2 एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन क्रीमि लेयर), ईडब्ल्यूएस, एक्स.एस.एम, सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्त पदों के आरक्षण सहित सभी अधिसूचित पदों के लिए रेलवे एवं पद-वाइज रिक्तियाँ अनुलग्नक-ख में शामिल हैं।

2.3 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार यह रिक्तियाँ बढ़ या घट सकती हैं (कृपया सामान्य निर्देश का पैरा 1.10 देखें)।

3.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक :

दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित चिकित्सा योग्यता परीक्षा (परीक्षाएँ) उत्तीर्ण करनी होंगी, जो उम्मीदवार द्वारा चयनित पद(ों) से संबंधित कार्यों को, उनके द्वारा कार्यान्वित कर सकने की चिकित्सा योग्यता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा योग्यता के लिए दृष्टि तीक्ष्णता मानक एक महत्वपूर्ण मापदंड है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों के सामने चिकित्सकीय अपेक्षाएँ नीचे दी गयी है :-

क्र. सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य फिटनेस	दृष्टि तीक्ष्णता
1	ए-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 बिना चश्मे के (कुहरा परीक्षा नहीं)। नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 बिना चश्मे के साथ रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
2	ए-3	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/9 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 2डी से अधिक न हो)।

			नजदीक की दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ तथा रंग दृश्यता, बायनोकुलर दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता इत्यादि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
3	बी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों की पावर 4 डी से अधिक न हो)। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ तथा बायनोकुलर दृश्यता, रंग दृश्यता, रात्रि दृश्यता, मैसोपिक दृश्यता आदि परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना है।
4	बी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/9, 6/12 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के (लेंसों के पावर 4 डी से अधिक न हो) निकट दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्में के साथ जब पढ़ना और नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो और बायनोकुलर दृश्यता परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना होगा।
5	सी-1	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/12, 6/18 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के। निकट दृष्टि : एसएन 0.6, 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्में के साथ जब पढ़ना और नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो और बायनोकुलर दृश्यता परीक्षण में अवश्य उत्तीर्ण होना होगा।
4	सी-2	शारीरिक तौर पर पूर्णतः स्वस्थ	दूर दृष्टि : 6/12, चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के शून्य। नजदीक की दृष्टि : जब पढ़ना तथा नजदीकी कार्य करना अपेक्षित हो तब एसएन 0.6 चश्मे के साथ अथवा बिना चश्मे के साथ।

टिप्पणी : उपर्युक्त चिकित्सा मानक केवल सूचक हैं तथा ये विस्तृत नहीं हैं एवं ये उम्मीदवारों पर सामान्यतः लागू होते हैं। उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि वे भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल (आईआरएमएम) खंड 1 के अध्याय 5 का अवलोकन कर लें, जो www.indianrailway.gov.in पर उपलब्ध है। जिन उम्मीदवारों ने रिफ्रेक्टरी दोष में सुधार के लिए लेसिक सर्जरी अथवा कोई अन्य सर्जरी करवाई है, वे ए2, ए3, बी1 तथा बी2 के चिकित्सा मानकों वाले पदों के लिए योग्य नहीं हैं।

पूर्व सैनिकों पर भारतीय रेलवे मेडिकल मैनुअल (आईआरएमएम) वॉल्यूम I के पैरा 534 में वर्णित मानक लागू होंगे, जिन्हें www.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है।

महत्वपूर्ण

यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वे कि स्वयं के द्वारा चुने गए पदों के लिए चिकित्सा मानकों के अनुसार योग्य हैं। आवेदित पदों के लिए चिकित्सीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जो उम्मीदवार ए2 चिकित्सा मानक पदों के लिए विकल्प दे रहे हों, वे नोट करें कि इन पदों का चिकित्सा मानक कठिन है और इसलिए उन्हें विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि दृष्टि एवं चिकित्सा मानकों दोनों के अनुसार उनकी निरोगता ऊपर निर्दिष्ट चिकित्सा नियमावली में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप है।

4.0 राष्ट्रीयता/ नागरिकता :

4.1 उम्मीदवार निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :

क. भारत का नागरिक, अथवा

ख. नेपाल का मूल निवासी, अथवा

ग. भूटान का मूल निवासी, अथवा

घ. तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से निवास करने की मंशा से आया है अथवा

ङ. भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश के केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य, मालावी, जाइरे, इथोपिया तथा वियतनाम से आकर भारत में स्थायी निवासी की तरह निवास कर रहा है।

च. बशर्ते यह कि उपर्युक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) की श्रेणी से संबंध उम्मीदवारी वाले व्यक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

4.2 ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, जिसके मामले में पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जाना आवश्यक हो, तथापि भारत सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् ही नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है।

5.0 आयु सीमा : 18 से 33 वर्ष

रिक्त तालिका में किसी विशेष पद/पदों के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम आयुसीमा की गणना 01.07.2019 के अनुसार की जाएगी।

5.1 नीचे सारणी में निम्नलिखित श्रेणियां/समुदायों के लिए उपरी आयुसीमा/अधिकतम ऊपरी आयु में छूट अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन लागू है।

क्र. सं.	समुदाय/ श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा में छूट (या) अधिकतम ऊपरी आयु	
1	ओबीसी-गैर क्रीमि लेयर (एनसीएल)	3 वर्ष	
2	एससी/एसटी	5 वर्ष	
3	पूर्व सैनिक उम्मीदवार, जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात् 6 माह से अधिक की सेवा की है	यूआर	33 वर्ष और रक्षा(डिफेंस) में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		ओबीसी-एनसीएल	36 वर्ष और रक्षा(डिफेंस) में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
		एससी/एसटी	38 वर्ष और रक्षा(डिफेंस) में प्रदान की गई सेवा तथा 3 वर्ष
4	पीडब्ल्यूबीडी यूआर	10 वर्ष	
	पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी-एनसीएल	13 वर्ष	
	पीडब्ल्यूबीडी एससी/एसटी	15 वर्ष	
5	वह उम्मीदवार जो 1.1.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान मूलतः जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी रहा है	यूआर	38 वर्ष
		ओबीसी-एनसीएल	41 वर्ष
		एससी/एसटी	43 वर्ष
6	वे उम्मीदवार जो रेलवे कर्मचारी के रूप में समूह 'ग' तथा पूर्ववर्ती समूह	यूआर	40 वर्ष

	'घ' में कार्यरत हैं, रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा (निरंतर अथवा खंडित भागों में) के साथ आकस्मिक श्रमिक तथा एवजी का कार्य कर रहे हैं	ओबीसी-एनसीएल	43 वर्ष
		एससी/एसटी	45 वर्ष
7	रेलवे संस्थान के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय जैसे, रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी और संस्थानों में काम करने वाले उम्मीदवार	यूआर	33 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		ओबीसी-एनसीएल	36 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
		एससी/एसटी	38 वर्ष और प्रदान की गई सेवा अवधि तथा 5 वर्ष में जो कम हो
8	विधवा, तलाकशुदा या पति से न्यायिक रूप से अलग रहने वाली, लेकिन पुनर्विवाह न करने वाली महिला उम्मीदवार	यूआर	35 वर्ष
		ओबीसी-एनसीएल	38 वर्ष
		एससी/एसटी	40 वर्ष
9	जिन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता आइटीआइ/सीसीए है, उसके लिए आवेदन करने वाले सीसीए	यूआर	33 वर्ष की आयु और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए अप्रेंटिस प्रशिक्षण सीमा जो कि अधिकतम 3 वर्ष है।
		ओबीसी-एनसीएल	36 वर्ष की आयु और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए अप्रेंटिस प्रशिक्षण सीमा जो कि अधिकतम 3 वर्ष है।
		एससी/एसटी	38 वर्ष की आयु और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत उनके द्वारा किए गए अप्रेंटिस प्रशिक्षण सीमा जो कि अधिकतम 3 वर्ष है।
10	जिन उम्मीदवारों ने 25 वर्ष आयु प्राप्त करने से पूर्व अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रारंभ किया है।	यूआर	35 वर्ष
		ओबीसी-एनसीएल	38 वर्ष
		एससी/एसटी	40 वर्ष

5.2 उम्मीदवारों की जन्मतिथि नीचे दिए गए तिथियों के बीच होगी : (दोनों तिथियाँ मिलाकर):-

क्र. सं.	आयु वर्ग	जन्मतिथि की ऊपरी सीमा (इससे पूर्व नहीं)			जन्मतिथि की निचली सीमा (इससे पश्चात् नहीं)	टिप्पणियां
1	18 से 33	यूआर	ओबीसी-एनसीएल	एससी/एसटी	सभी समुदायों/श्रेणियों के लिए	पैरा 5.1 पर तालिका में दिए गए समुदायों/श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार यथालागू आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। नोट : इस तालिका में दिए गए एससी/ एसटी एवं ओबीसी- एनसीएल के लिए जन्मतिथि की सीमा में समुदाय को आयु में छूट शामिल है।
		02.07.1986	02.07.1983	02.07.1981	01.07.2001	

5.3 यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र है, तो वह अधिकतम आयु में छूट (गैर-संचयी) प्राप्त करेगा, जिसके लिए वह योग्य है।

5.4 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल(गैर क्रीमी लेयर) उम्मीदवारों के लिए आयु छूट लागू नहीं होगी।

5.5 अनारक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को वही आयु छूट प्रदान की जाएगी, जो अनारक्षित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लागू है।

5.6 उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा आवेदन के समय दर्ज की गई जन्म तिथि वही होनी चाहिए, जो उनके मैट्रिक / एसएसएलसी / दसवीं अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज की गई है। इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में प्राप्त अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.0 शैक्षणिक योग्यताएँ :

इस सीइएन के अनुलग्नक-क में निर्दिष्ट पदों के लिए, ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ एनसीवीटी / एससीवीटी से प्राप्त अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। उन उम्मीदवारों को आवेदन नहीं करना चाहिए, जिनका निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।

नोट : सीसीए/आइटीआइ के बदले में इंजीनियरिंग डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सीसीए के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

7.0 परीक्षा शुल्क :

इस सीइएन में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नीचे दी गयी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना है :-

क्र. सं.	उम्मीदवार की श्रेणियां	शुल्क
1	नीचे क्रम संख्या 2 में उल्लिखित छूट प्राप्त श्रेणी के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उम्मीदवारों वर्ग के लिए सीबीटी में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 500/- में से रु.400/- की राशि पर लागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी यथासमय की जाएगी।	रु. 500/-
2	पीडब्ल्यूबीडी/महिलाएं/ट्रांसजेंडर/पूर्व सैनिक उम्मीदवारों एवं एससी/एसटी/ अल्पसंख्यक/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए। * सीबीटी में सम्मिलित होने पर शुल्क रु. 250/- में यथालागू बैंक प्रभार काटकर शेष राशि की वापसी यथासमय की जाएगी।	रु. 250/-*

7.1 शुल्क के भुगतान की विधि :

- क. इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट/ क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान।
ख. निम्नांकित माध्यम से शुल्क का ऑफलाइन भुगतान :-
i. भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में एसबीआई बैंक चालान भुगतान।
ii. किसी भी कंप्यूटरीकृत डाक घर में डाकघर चालान भुगतान।

7.2 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि एवं समय :

ऐसे उम्मीदवार, जो दिनांक 12.04.2019 के 23.59 बजे तक पंजीकरण किए हैं, उन्हें ऑफलाइन भुगतान दिनांक 18.04.2019 के 13.00 बजे तक तथा ऑनलाइन भुगतान दिनांक 23.04.2019 के 23.59 बजे तक करने की अनुमति है। भुगतान के पश्चात्, इन उम्मीदवारों को 26.04.2019 के 23.59 बजे तक या उससे पहले अपने कम्प्लीट आवेदन जमा(सबमिट) कर देना चाहिए।

उम्मीदवार द्वारा शुल्क भुगतान के लिए प्रत्येक लागू सेवा प्रभागों का वहन किया जाएगा। शुल्क का भुगतान उपर्युक्तानुसार ऑफलाइन विधि अर्थात् पैरा 7.1 (ख) (i) एवं (ii) के अनुसार किए जाने की स्थिति में रसीद संभालकर रखी जानी चाहिए। यह रसीद दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान माँगे जाने पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- 7.3 इस सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक किसी प्रकार का संशोधन/ विलोपन/ संवर्धन प्राप्त न होने की शर्त पर अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन तथा जोरास्ट्रियन (पारसी) शामिल होंगे।

परीक्षा शुल्क में छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 'अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा' करते हुए यह उल्लेख करना होगा कि वे उपर्युक्त में से किसी अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध हैं तथा ऐसा न किए जाने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- 7.4 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे होते हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम हो। ऐसे उम्मीदवारों के पास आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि को निर्धारित प्रारूप में जारी करने वाले प्राधिकारी के पत्र शीर्ष (लेटर हेड) पर जारी वैध आय प्रमाणपत्र

होना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जमा नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। बीपीएल कार्ड तथा इज़्जत एमएसटी धारक उम्मीदवार भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत शुल्क में रियायत पाने के पात्र होंगे। शुल्क में रियायत का दावा करने वाले ऐसे सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करते समय अपेक्षित प्रमाणपत्र / कार्ड संख्या, जारी तिथि, जारीकर्ता प्राधिकारी, स्थान तथा जारीकर्ता राज्य से संबंधित जानकारी भरनी चाहिए।

- 7.5 सीबीटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भुगतान (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई) के मामले में इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि क्या वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा (₹.400/- या ₹. 250/- जैसा लागू हो) उसी खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, जिस खाते से उन्होंने भुगतान किया है या वे बैंक खाते से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके संबंध में उन्होंने लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान किया है। परीक्षा शुल्क का वापसी योग्य हिस्सा, लागू बैंक शुल्क की विधिवत कटौती के पश्चात् वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई चालान या पोस्ट ऑफिस चालान मोड के माध्यम से भुगतान किया है, उन्हें लाभार्थी खाते का विवरण अर्थात् लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना चाहिए, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं। सही बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों की है और आरआरबी/आरआरसी इस संबंध में उम्मीदवार से कोई पत्राचार नहीं करेगा।
- 7.6 जिन उम्मीदवारों का आवेदन अधूरा है या जिन्होंने अपना आवेदन जमा नहीं किया है या जिनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है, उनके द्वारा भुगतान किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

8.0 ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण :

- 8.1 इस सीइएन में अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – गैर क्रीमी लेयर (एनसीएल) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के संबंध में यथा लागू एवं स्वीकार्य तथा वर्तमान नियमों के तहत माँगकर्ता रेलवे/उत्पादन इकाइयों द्वारा दी गई सूचना, रिक्ति तालिका में किए गए उल्लेख के अनुसार ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
- 8.2 किसी भी समुदाय के सभी उम्मीदवार, यूआर उम्मीदवारों के मापदंडों को पूरा किए जाने की शर्त पर यूआर रिक्तियों के लिए विचारणीय होंगे। तथापि, विशिष्ट समुदायों (एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्दिष्ट रिक्तियों के लिए केवल संबद्ध समुदायों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा।
- 8.3 आरक्षण प्राप्त करने के लिए एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय **अनुलग्नक-I** (एससी/एसटी के लिए) तथा **अनुलग्नक-II** (ओबीसी-एनसीएल) में दिए गए प्रारूप के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 तथा दिनांक 09.03.2004, 27.05.2013, 13.09.2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्थापना (आरईएस) एवं इस सीइएन के लिए ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि तक प्राप्त आगामी संशोधनों, यदि कोई हो, में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमिलेयर) से संबंधित नहीं हैं। उम्मीदवारों को इस सीइएन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ओबीसी-एनसीएल से संबंधित हैं। ऐसे उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में ओबीसी का वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। समुदाय प्रमाणपत्र (ओबीसी) के अतिरिक्त, दस्तावेज़

सत्यापन के दौरान, उम्मीदवारों को **अनुलग्नक II** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वे क्रीमिलेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र, दस्तावेज़ सत्यापन के समय एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा न किए जाने की स्थिति में आरक्षण स्थिति (ओबीसी-एनसीएल) से संबंधित उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन/उम्मीदवारी केवल सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता शर्तों के अनुरूप सामान्य (यूआर) रिक्तियों के लिए विचारणीय होगी।

8.4 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण :

वे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल आरक्षण योजना के अन्तर्गत नहीं आते और जिनकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय रु. 8 लाख (आठ लाख रुपए) से कम है, उनकी पहचान ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ देने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में की जानी है। आय में आवेदन किए गए वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों, यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से हुई आय भी शामिल होगी। इस सीइएन सं. आरआरसी-01/2019 के लिए, वित्त वर्ष 2018-19 होगा क्योंकि पंजीकरण की अंतिम तिथि 12.04.2019 है। साथ ही, उन उम्मीदवारों की पहचान ईडब्ल्यूएस के रूप में नहीं की जाएगी जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति होगी, चाहे उनका पारिवारिक आय कुछ भी हो :

- i. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
- ii. 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक का आवासीय प्लैट ;
- iii. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
- iv. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस का दर्जा निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति होल्डिंग टेस्ट करते समय अलग-अलग स्थानों या भिन्न-भिन्न जगहों / शहरों में एक "परिवार" द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को एक साथ संयोजित किया जाए।

उक्त उद्देश्य के लिए शब्द "परिवार" में शामिल होंगे - आरक्षण की माँग करने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के उसके भाई-बहन और इसके साथ - साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। ईडब्ल्यूएस में होने के उम्मीदवार के दावे के रूप में केवल **अनुलग्नक III** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित में से किसी भी एक प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र को ही स्वीकार किया जाएगा:

क) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / समाहर्ता / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त ।

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ।

ग) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों तथा

घ) उस क्षेत्र के अनुमंडल अधिकारी, जहां उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहते हों ।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि को अनुलग्नक-III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इन शर्तों के अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन पर केवल

- सामान्य (अनारक्षित) रिक्तियों के तहत ही विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- 8.5 एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/इडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण होने की स्थिति में यूआर रिक्तियों के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि उन्हें यूआर उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी। यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करते समय, उन्हें एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए लागू आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, फिर भी ऐसे उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय का उल्लेख करना चाहिए।
- 8.6 इस सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि को समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति के संबंध में विचार केवल आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाएगा तथा उम्मीदवार के समुदाय/ईडब्ल्यूएस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9.0 क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण :**
- 9.1 इस सीइएन में किसी भी समुदाय के पूर्व सैनिकों, रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए एवं दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण का प्रावधान है।
- 9.2 पूर्व सैनिकों, रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए एवं पीडब्ल्यूबीडी के संबंध में जहाँ कहीं भी रिक्ति तालिका में रिक्तियों से संबंधित सूचना दर्शाई गई है, वह अलग नहीं है तथा रिक्तियों की कुल संख्या में शामिल की गई है।
- 9.3 जहाँ कहीं भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिक्तियाँ अलग-अलग समुदायवार आवंटन के बिना दिखाई जाती हैं, वे रिक्तियाँ अलग हैं और नियमित रिक्तियों का हिस्सा नहीं हैं।
- 9.4 पूर्व सैनिक उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित नहीं हैं। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि पूर्व सैनिक के लिए निर्धारित है।
- 9.5 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार भी ऐसे नियमित पद (पदों) के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जो पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए निर्धारित नहीं हैं, परंतु पद उनकी पीडब्ल्यूबीडी के दृष्टिकोण से अवश्य उपयुक्त होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए भी वे आयु में तथा शुल्क में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा कि दिव्यांग के लिए निर्धारित है।
- 9.6 नियमित पीडब्ल्यूबीडी रिक्तियाँ यदि उनके पक्ष में आरक्षित पदों को अक्षमता श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य उपयुक्त कारण से नहीं भरी गई, तो ऐसी रिक्तियों को नहीं भरा जाएगा और बैकलॉग रिक्तियाँ के तहत उन्हें अगले भर्ती प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यद्यपि केंद्रीकृत सूचना में बताए बैक लॉग रिक्तियों के तहत सूचित पदों के लिए निर्धारित अक्षमता वाले उम्मीदवार न मिलने पर उपयुक्त पद के लिए अन्य अक्षमता वाले उम्मीदवार द्वारा उन पदों को भरा जाएगा जिन के लिए उपयुक्त है। कोई दिव्यांग उम्मीदवार की गैर उपलब्धता के मामले में जिनके लिए पद उपयुक्त है उन पदों को मैरिट के अनुसार नियमित उम्मीदवारों (जो पीडब्ल्यूबीडी) द्वारा भरा जाएगा।
- 9.7 रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए उम्मीदवार किन्हीं पदों की रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो सीसीए रिक्तियों के लिए अलग से निर्धारित नहीं है। इन पदों के लिए भी वे आयु में छूट के पात्र हैं।
- 10.0 पूर्व सैनिक :**
- 10.1 पूर्व सैनिक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने किसी भी रैंक (युद्धशील अथवा गैर युद्धशील) पर भारत संघ के नियमित थल, जल अथवा वायु बलों में सेवा की है, परंतु इनमें वे व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, जिन्होंने रक्षा

सुरक्षा वाहिनी, सामान्य आरक्षित इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना तथा अर्द्ध सैनिक बलों में सेवा की है।

तथा

- क. वह व्यक्ति जो स्वयं अपने अनुरोध पर अथवा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् नियोक्ता द्वारा कार्य मुक्त, सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवा मुक्त अथवा कार्य मुक्त हुआ है, (अथवा)
 - ख. ऐसा व्यक्ति जो सैन्य सेवा से जुड़ी अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थिति के कारण चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया है तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन प्रदान की जा रही है, (अथवा)
 - ग. जो ऐसी सेवाओं से स्थापना में की गई कटौती के परिणामस्वरूप कार्यमुक्त कर दिया गया है, (अथवा)
 - घ. जो ऐसी सेवा में अपनी सेवाओं की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी होने पर या जो उसके अनुरोध पर अथवा बर्खास्तगी द्वारा अथवा कदाचार अथवा कार्य अक्षमता के कारण कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उसे ग्रेच्युटी प्रदान किया गया है, तथा जिसमें प्रादेशिक सेना अर्थात् अनवरत सम्मिलित सेवाओं अथवा योग्य सेवा का खंडित भाग सम्मिलित है; (अथवा)
 - ड. सेना डाक सेवा के कार्मिक, जो नियमित सेना के भाग हैं तथा जो सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में पदावनति के साथ सेवानिवृत्त नहीं किए गए हैं अथवा जो सेना डाक सेवा से सैन्य सेवा से जुड़े अथवा उत्पन्न चिकित्सा कारणों अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण कार्यमुक्त किए गए हैं, जो उनके नियंत्रण से परे हैं तथा जिन्हें चिकित्सा एवं अन्य अक्षमता पेंशन दी गई है; (अथवा)
 - च. वे कार्मिक, जो सेना डाक सेवा में दिनांक 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व छह माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; (अथवा)
 - छ. प्रादेशिक सेना के कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले; (अथवा)
 - ज. चिकित्सा आधार पर सेवा से बाहर अथवा मुक्त किए गए पूर्व-रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गई है।
- 10.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात् पूर्व सैनिक की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति अपने सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने से एक वर्ष पूर्व पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे तथा उन्हें पूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सभी रियायतें प्रदान की जा सकेंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को अपने पद का त्याग तब तक नहीं करना होगा जब तक की वे संघ के सशस्त्र बलों में अपनी सेवा की विशिष्ट अवधि को पूर्ण न कर लें।
तदनुसार, ऐसे सेवारत सुरक्षा कर्मी, जो इस सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि (दिनांक 12.04.2020 या उससे पूर्व) के एक वर्ष के अंदर सेवामुक्त होने वाले हैं, वे भी पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित पदों तथा अनारक्षित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, तथापि ऐसे उम्मीदवारों के पास सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 12.04.2019 को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- 10.3 ऐसे पूर्व सैनिक उम्मीदवार, जो केंद्र सरकार के समूह 'ग' तथा 'घ' में पूर्व सैनिक का लाभ ले कर असैनिक रोजगार पहले ही प्राप्त कर लिए हैं (पीएसयू, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय/ राष्ट्रीकृत बैंक आदि) को केवल केंद्र सरकार के अंतर्गत ग/ घ के उच्च ग्रेड अथवा कैडर में असैनिक रोजगार प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु छूट के लाभ ही प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उम्मीदवार केंद्र सरकार की नौकरियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचारणीय नहीं होंगे।
- 10.4 यदि कोई पूर्व सैनिक किसी असैनिक रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन करता है, तो उसे किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के लाभ प्रदान किए जाएंगे, परंतु ऐसे पूर्व सैनिकों को असैनिक रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने संबंधित नियोक्ता के सम्मुख इस सीइएन के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के संबंध में घोषणा/ वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। असैनिक नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) सहित ऐसी घोषणा की पावती दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा ऐसा न किए जाने पर पूर्व

सैनिक के लिए निर्धारित आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये लाभ केवल सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्तियों एवं उन रिक्तियों के लिए लागू होंगे, जिनमें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.5 पूर्व सैनिकों से संबंधित चिकित्सा मानक, भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) के खंड-1 के पैरा 534 के अनुसार होंगे, जो www.indianrailways.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

11.0 **बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) :**

11.1 पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए पद के लिए उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता प्रत्येक पद के सामने उप दिव्यांगता विवरण सहित 'बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के लिए उपयुक्तता' कॉलम के अंतर्गत, पद मापदंड सारणी (अनुलग्नक-क) में दर्शाए गए हैं।

बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति :- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूबीडी) के अनुसार (दिनांक 19.04.2017 से लागू) मानक दिव्यांगता निम्नानुसार हैं :-

- (क) नेत्रहीन और पूर्ण दृश्यता न होना ;
- (ख) बधिर और कम सुनाई देना ;
- (ग) गति अक्षमता जिसमें मस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी), कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुए, बौनापन, ऐसीड फेंके जाने से पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास शामिल हैं ;
- (घ) स्वलीनता, बौद्धिक अक्षमता, विशेष सीखने की अक्षमता और मानसिक अस्वस्थता ;
- (ड.) प्रत्येक अक्षमता के लिए निश्चित पदों हेतु बधिर-नेत्रहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से बहु अक्षमताएँ।

आरपीडब्ल्यूबीडी अधिनियम, 2016 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की परिभाषा निम्नानुसार है:-

11.2 **विनिर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्तियों की परिभाषा :-**

1. शारीरिक निशक्तता :-

(क) गति निशक्तता (स्वयं को और वस्तुओं को गति प्रदान करने से संबंधित विशिष्ट क्रियाओं को कर सकने में कोई व्यक्ति निशक्त है, जिसके कारण शरीर के अंगों का संचालन प्रतिबंधित हो अथवा प्रमस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति हो या दोनों हों), जिसमें :-

(क) "कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति" - अर्थात् जो कुष्ठ रोग से स्वस्थ हुआ है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है :-

- (i) बिना किसी स्पष्ट विकृति के हाथों एवं पैरों में चेतना की कमी के साथ आँख और पलकों में पक्षाघात ;
 - (ii) स्पष्ट विकृति और पक्षाघात, परंतु उनके हाथों और पैर में पर्याप्त गतिशीलता, जिससे सामान्य गतिविधि करने में योग्य हों ;
 - (iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ बढ़ती आयु, जो उन्हें किसी लाभदायक व्यवसाय लेने से रोके और "कुष्ठ रोग से स्वस्थ" होने के अनुसार भर्ती किया जाए।
- (ख) "प्रमस्तिक पक्षाघात (सेरिब्रल पाल्सी)" का अर्थ, किसी व्यक्ति का जन्म पूर्व, नवजात अवस्था अथवा शैशव काल के विकास के दौरान मस्तिष्क दोष अथवा चोट के परिणामस्वरूप उत्पन्न असामान्य मोटर कंट्रोल मुद्रा के कारण उत्पन्न गैर विकासशील अवस्थाओं के रूप में किया जा सकता है।

- (ग) "बौनापन"- अर्थात चिकित्सा या जेनेटिक स्थिति है, परिणामस्वरूप व्यस्क की ऊँचाई 4 फीट 10 ईंच (147 सेंटीमीटर) या कम होती है ;
- (घ) "मांसपेशीय दुर्विकास" - अर्थात वंशानुगत अनुवांशिक मांसपेशी बीमारी का समूह है, जो मानव शरीर के मांसपेशी को कमजोर करता है और व्यक्तियों में बहु दुर्विकास के साथ जीन में गलत और कम जानकारी रहती है, जो जीन में स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। अस्थि-पंजर संबंधी मांसपेशी की कमजोरी को बढ़ाना, मांसपेशी प्रोटीन में कमी और कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु इसके लक्षण हैं।
- (ङ.) "एसिड हमले का शिकार" – अर्थात एसिड या उसी प्रकार के संक्षारक वस्तु फेंके जाने के हिंसक हमले के कारण से विकृत व्यक्ति है।

ख) दृष्टि क्षीणता –

(क) दृष्टिहीनता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें सबसे अच्छे सुधार के बाद किसी व्यक्ति की स्थिति निम्न में से है-

- (i) दृश्यता का पूरी तरह से अभाव ; या
- (ii) बेहतर आँख की दृश्यता उचित लेंसों के साथ 3/60 अथवा 10/200 (स्त्रेलन) से कम हो; या
- (iii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 10 डिग्री या इससे कम कोण पर होना।

(ख) "कम दृश्यता" का अर्थ उस स्थिति से है, जहाँ व्यक्ति की स्थिति निम्नानुसार होती है :-

- (i) बेहतर आँख की दृश्यता, उचित लेंसों के साथ 6/18 अथवा 20/60 से 3/60 तक या 10/200 स्त्रेलन से अधिक न हो ; या
- (ii) दृश्यता के क्षेत्र की सीमा का विस्तार 40 डिग्री से 10 डिग्री कोण तक कम होना।

(ग) श्रवण क्षति—

(क) "बधिर" का अर्थ है, वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 70 डीबी बहरापन है।

(ख) 'कम सुनना' अर्थात वह व्यक्ति जिसके दोनों कानों की वाक् आवृत्ति में 60 डीबी से 70 डीबी बहरापन है।

(घ) (1) 'वाक् और भाषा अक्षमता' का अर्थ एक स्थायी अक्षमता है, जिसमें गला संबंधी (लार्यनजेक्टोमी) या स्वरलोप जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि जैविक या स्नायविक कारणों से वाक् एवं भाषा के एक या एक से अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

(2) बौद्धिक निशक्तता का अर्थ उस स्थिति से है, जिसमें बौद्धिक कामकाज (तर्क, सीखने, समस्या सुलझाने) और अनुकूल व्यवहार, जिसमें प्रतिदिन के कामकाज में सामाजिक व व्यवहारिक कुशलता शामिल है, दोनों में ही महत्वपूर्ण कमी के लक्षण दिखते हैं।

(क) "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" अर्थात विषम परिस्थितियों का वह समूह जिसमें भाषा बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी में या गणित गणना करने में कठिनाई होती है और जिसमें अवधारणात्मक अक्षमता, वाक् विकार, डिस्ग्राफिया, डिस्केल्कुलिया, दुष्क्रिया और विकासात्मक स्वरलोप इत्यादि जैसी स्थितियाँ शामिल होती हैं।

(ख) "स्वलीनता विस्तार विकार (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)" अर्थात स्नायु विकासात्मक स्थिति है, जो जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है, जो व्यक्ति की संवाद क्षमता, रिश्तों को समझने और दूसरे से संबंध बनाने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है और यह हमेशा असामान्य या रूढ़िबद्ध संस्कार या व्यवहारों के साथ जुड़ा होता है।

(3) मानसिक व्यवहार --

“मानसिक बीमारी” का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, झुकाव या स्मरण शक्ति में पर्याप्त विकार, जिसमें निर्णय क्षमता अति प्रभावित रहती है, जिसके कारण व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य माँगों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित रहती है, परंतु जिसमें मंदता शामिल नहीं होता है, जो किसी व्यक्ति के दिमाग का अधूरा विकास या अवरूद्ध होने की स्थिति है, जिसका विशेष लक्षण बुद्धि की उप सामान्यता है।

(4) अक्षमता निम्न के कारण हुआ –

क) पुरानी स्नायविक स्थिति, जैसे-

i) "बहु काठिन्य (मल्टीपल स्क्लेरोसिस) " मतलब सृजनयुक्त तंत्रिका तंत्र रोग, जिसमें दिमाग के तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर फैले हुए माइलिन आवरण तथा रीढ़ की हड्डियों को नुकसान पहुँचता है, जिसके कारण माइलिन रहित तथा दिमाग के तंत्रिका ऊतकों और रीढ़ की हड्डियों के एक दूसरे से संपर्क करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ने वाली स्थिति बनती है;

ii) " पार्किंसंस रोग" का तात्पर्य तंत्रिका तंत्र के एक ऐसी प्रगतिशील बीमारी से है, जिसके लक्षण कंपन, मांसपेशियों का अकड़ जाना, धीमी और अनिश्चित गति हैं, जो अर्धेड उम्र तथा बूढ़े लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसमें दिमाग के बेसल गैंग्लिया की अवनति तथा न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है।

ख) रक्त विकार –

i) "हीमोफीलिया" एक अंतर्निहित बीमारी है, जो सामान्यतया पुरुषों में होती है, किंतु महिला से उनके पुत्रों को संप्रेषित हो जाती है, जिसमें खून के थक्के बनने की क्षमता में कमी या नुकसान होता है, जिससे बच्चों में घातक रक्तस्राव होने लगता है ;

ii) "थैलेसीमिया" एक ऐसी अंतर्निहित रोग है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति के लक्षण पाए जाते हैं।

iii) "सिकल सेल रोग" एक रक्तलायी विकार है, जिसमें ऊतकों तथा अवयवों को नुकसान पहुँचाने के कारण क्रोनिक एनीमिया, दर्द तथा कई तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, "हेमोलिटिक" बीमारी में लाल रक्त कोशिकाओं के कोशिका झिल्ली को क्षति पहुँचाने के कारण हीमोग्लोबिन का निस्तार होता है।

(5) बहु निशक्तताएं (जिसमें ऊपर बताई गई विशेष निशक्तता में एक से अधिक हों) बधिर, अंधापन सहित, ऐसी स्थिति, जिसमें व्यक्ति को सुनने तथा देखने संबंधी कमजोरी हो, जिसके कारण संपर्क, विकास तथा शिक्षा संबंधी गंभीर समस्याएँ होती हैं।

(6) अन्य कोई कोटि, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

11.3 आरक्षण के लिए बेंचमार्क निशक्तता की डिग्री तथा निशक्तता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम

प्राधिकारी : केवल वही व्यक्ति अपने संबंधित समुदाय में सेवाओं/ पदों के संबंध में छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे, जिनकी संबंधित अक्षमता का प्रतिशत 40% से कम नहीं है। छूट और/ या आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को दिनांक 15.06.2017 के आरपीडब्ल्यूडी नियमावली, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18 (1) के फार्म V, VI और VII के अनुसार दस्तावेज़ सत्यापन के समय अक्षमता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए **अनुलग्नक V(ए), अनुलग्नक V(बी) और अनुलग्नक V(सी)** को देखें।

अक्षमता के अधिकारों के अधिनियम 1995 (निरस्त) के अंतर्गत जारी वर्तमान अक्षमता प्रमाणपत्र, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होगा।

11.4 **स्क्राइब की मदद :** ऐसे दिव्यांग उम्मीदवार जिनकी लेखन की गति प्रमस्तिष्क पक्षाघात के कारण प्रभावित है/ एक हाथ वाले उम्मीदवार/ मांसपेशियों की कमजोरी वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए स्क्राइब की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को इससे संबंधित उल्लेख ऑनलाइन फार्म में करना चाहिए।

स्क्राइब की सेवाएँ निम्नलिखित शर्तों पर प्राप्त की जा सकती है :-

उम्मीदवार को अपने लिए स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

क) जिस सीइएन के लिए उम्मीदवार द्वारा स्क्राइब की सहायता प्राप्त की गई है उस अधिसूचना के अंतर्गत स्क्राइब स्वयं उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। किसी एक स्क्राइब की सेवाएँ एक से अधिक उम्मीदवारों के द्वारा नहीं ली जानी चाहिए। इस संबंध में स्क्राइब और उम्मीदवार को घोषणा प्रस्तुत करना होगा। किसी भी स्तर पर उल्लंघन का पता होने पर स्क्राइब और उम्मीदवार दोनों को अयोग्य माना जाएगा।

ख) स्क्राइब की अपेक्षा करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब के संबंध में अनुलग्नक V(डी) के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा ताकि आरआरबी/आरआरसी स्क्राइब के लिए ई-कॉल लेटर जारी कर सके और उस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। स्क्राइब को सीबीटी केंद्र पर मूल वैध पहचान-पत्र और पासपोर्ट साइज का फोटो लाना होगा।

ग) उम्मीदवार के साथ में आने वाले स्क्राइब के लिए अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा।

घ) परीक्षा के दौरान स्क्राइब द्वारा किए गए किसी भी कदाचार का उत्तरदायित्व स्क्राइब को लाने वाले उम्मीदवार का होगा।

ङ) स्क्राइब की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का प्रतिपूरक समय का उपयोग करने के पात्र होंगे।

च) वे उम्मीदवार जो स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, किंतु ऑनलाइन आवेदन के समय स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं, वे सीबीटी केंद्र पर अनुलग्नक V (घ) में दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरकर, स्क्राइब के लिए निर्धारित शर्तों का विधिवत अनुपालन करते हुए स्क्राइब की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आपात स्थितियों में भी स्क्राइब के परिवर्तन की अनुमति, आपात कारणों को विधिवत दर्ज करने, संबंधित विवरणों को भरने और अनुलग्नक V (घ) के अनुसार नए स्क्राइब की फोटो चिपकाने के उपरांत दी जा सकती है।

छ) स्क्राइब रखने संबंधी शर्तें सक्षम प्राधिकारी के उन विभिन्न प्रावधानों/आदेशों के अधीन होंगी जो समय-समय पर संशोधित की गयी हैं।

11.5 एक आँख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृष्टि की अक्षमता 40% से कम है, उन्हें दृष्टि विकलांग व्यक्ति नहीं माना जाएगा और उनके लिए स्क्राइब की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

11.6 चयनित पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा रेलवे चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय की जाएगी तथा केवल वही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो भारतीय रेलवे चिकित्सा मैनुअल तथा अन्य लागू प्रावधानों, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत चिकित्सा मानकों पर खरे उतरेंगे।

11.7 पीडब्ल्यूबीडी व्यक्तियों के लिए रिक्तियाँ आरक्षित होने की स्थिति में जब, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी-एनसीएल की प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंकों की योग्यता के प्रतिशत से युक्त पैनल का निर्माण करना संभव नहीं होगा तब ऐसी स्थिति में समुदाय के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों में 2 प्रतिशत अंकों की छूट दी जाएगी।

12.0 रेलवे एक्ट अप्रेंटिस :

12.1 रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित सीसीए तथा राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षु प्रमाणपत्र (एनएसी) पाने वाले के द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियाँ अलग से रिक्ति तालिका में दर्शाई गई है। यह पीडब्ल्यूबीडी एवं पूर्व सैनिकों के मामले में होरिजेंटल आरक्षण प्रकृति का होगा। बहरहाल, पीडब्ल्यूबीडी के मामले के विपरीत इस विधि द्वारा भरे जाने के लिए नहीं भरी गई रिक्तियों को आगे स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। शॉर्टफॉल की स्थिति में रिक्ति स्लॉटों को संयुक्त मेधा सूची के अन्य उम्मीदवारों से भर लिया जाएगा।

12.2 इस सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् 12.04.2019 को या इससे पूर्व अप्रेंटिशीप पूरा करने का कटऑफ तिथि होगी। किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिशीप प्रशिक्षण पूरा किया हुआ तब माना जाएगा जब वह इस सीइएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12.04.2019 से पहले एनसीवीटी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो और परिणाम घोषित न हुआ हो। फिर भी उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एनसीवीटी द्वारा जारी एनएसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, ऐसा नहीं करने पर वे इस प्रावधान के अंतर्गत सीसीए/रेलवे स्थापनाओं में प्रशिक्षित आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे।

12.3 सीसीए अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने पर किसी भी आरआरबी/आरआरसी को आवेदन करने के लिए पात्र होंगे न कि केवल उनके प्रशिक्षित रेलवे स्थापना के लिए।

आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट :

एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/एक्सएसएम/सीसीए (रेल स्थापना में प्रशिक्षित) के लिए उपलब्ध आरक्षण/छूट के लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे नियमावली/सीइएन में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के हकदार हैं। उन्हें अपने दावे के समर्थन में नियमावली/सीइएन में यथानिर्धारित विहित प्रपत्र में सभी अपेक्षित प्रमाणपत्र उनके पास होने चाहिए।

13.0 सेवारत कर्मचारियों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) :

13.1 केन्द्र/राज्य सरकार के किसी भी विभाग, रेलवे अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित, में सेवारत उम्मीदवार (प्रवेश प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे/परिवीक्षाधीन सहित) अपने नियोक्ता को विधिवत् सूचित करते हुए आरआरबी/आरआरसी के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय अपने नियोक्ता से प्राप्त एनओसी प्रस्तुत करना होगा तथा ऐसा न किए जाने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13.2 उम्मीदवार यह नोट करें कि आरआरबी/आरआरसी में उनके नियोक्ता से उम्मीदवार द्वारा आवेदन करने/परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए दी गयी अनुमति को रोकने की सूचना प्राप्त होने पर उनके आवेदन/उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

14.0 भर्ती प्रक्रिया :

उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी के आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध लिंक द्वारा अपनी पसंद के आरआरबी/आरआरसी में सभी अधिसूचित पदों के लिए केवल एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है।

पूरी भर्ती प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीइटी), दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा जांच शामिल है।
सीबीटी, पीइटी, डीवी और चिकित्सा जांच अथवा यथा लागू किसी भी अन्य अतिरिक्त क्रियाकलाप के लिए तिथि, समय एवं स्थान का नियतन आरआरबी/आरआरसी द्वारा किया जाएगा तथा उसकी सूचना पात्र उम्मीदवारों को यथासमय दी जाएगी। उपर्युक्त किसी भी क्रियाकलाप के स्थगन अथवा स्थान, तिथि एवं पाली(शिफ्ट) हेतु किसी भी परिवर्तन संबंधी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

14.1. कम्प्यूटर आधारित परीक्षा :

सभी पात्र उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी के वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए ई-कॉल लेटर के अनुसार निर्धारित तिथि, समय तथा स्थल पर कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेना है। वेबसाइट तथा पर्सनल ई-मेल कम्प्युनिकेशन के माध्यम से डाउनलोड किए गए ई-कॉल लेटर के संबंध में जानकारी उम्मीदवारों को दी जाएगी।

सीबीटी के लिए परीक्षा अवधि एवं प्रश्नों की संख्या नीचे बताई गई है :

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक) से				कुल प्रश्नों की संख्या
	सामान्य विज्ञान	गणित	सामान्य बुद्धिमता और तर्कशक्ति	सामान्य जानकारी एवं सामयिक विषय	
90*	25	25	30	20	100

* स्क्राइब के साथ आए हुए पात्र पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि 120 मिनट की होगी।

उपर्युक्त सारणी में दिए गए खंडवार वितरण केवल सांकेतिक हैं और वास्तविक प्रश्न पत्र में कुछ अंतर हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे।

विभिन्न श्रेणियों में पात्रता हेतु अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता : यूआर-40%, इडब्ल्यूएस-40%, ओबीसी(एनसीएल)-30%, एससी-30%, एसटी-30%. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार के अभाव में उनकी पात्रता हेतु अंकों के प्रतिशत में 2% की छूट दी जाएगी।

जहां दूसरे चरण की सीबीटी आयोजित करना आवश्यक समझा जाता हो, वहां रेल प्रशासन को यह अधिकार है कि वह पहले चरण की सीबीटी को दूसरे चरण के लिए उपयुक्त संख्या में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के उद्देश्य से अर्हक परीक्षा मान ले।

प्रश्न प्रकार एवं पाठ्यक्रम :

वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार में बहुविकल्पों के साथ प्रश्न होंगे और इनमें निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं।

क) गणित :

संख्या पद्धति, बॉडमास, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, मेंसुरेशन, समय एवं कार्य, समय एवं दूरी, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ एवं हानि, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति, प्रारंभिक सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु-गणना, कैलेंडर एवं क्लॉक, नल एवं टंकी इत्यादि।

ख) सामान्य बुद्धिमता और तर्कशक्ति :

अनुरूपता, वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला, कोडिंग और डिडोडिंग, गणितीय संक्रियाएं, संबंध, प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति, जम्बलिंग, वेन आरेख, आंकड़ा निर्वचन और पर्याप्तता, निष्कर्ष एवं निर्णयन, समानताएं एवं अंतर, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, वर्गीकरण, दिशाएं, कथन-तर्क एवं धारणाएं इत्यादि।

ग) सामान्य विज्ञान :

इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में दसवीं स्तर(सीबीएसई) के भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जैविक विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे।

घ) सामयिक विषयों पर सामान्य जानकारी :

इसके अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेलकूद, संस्कृति, व्यक्तिविशेष, अर्थशास्त्र, राजनीति एवं अन्य महत्व के विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे।

यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त सूचीबद्ध विषय व्याख्यात्मक हैं और जरूरी नहीं कि यह विस्तृत हो।

14.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीइटी)

सीबीटी में उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर, पीइटी के लिए आरआरबी/आरआसी के अधिसूचित पदों की समुदायवार कुल रिक्ति के तीन गुणा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। फिर भी रेलवे को सभी अधिसूचित पदों के लिए पर्याप्त/उचित संख्या में उम्मीदवारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार यह अनुपात बढ़ाने/घटाने का अधिकार है। शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीइटी) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और यह अर्हक प्रकृति का होगा। पीइटी के मापदंड निम्न प्रकार हैं :

पुरुष उम्मीदवार	महिला उम्मीदवार
35 किलोग्राम वजन को उठाकर दो मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना चाहिए : और 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकेंड में एक ही चांस में दौड़ना चाहिए।	20 किलोग्राम वजन को उठाकर दो मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाना चाहिए : और 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकेंड में एक ही चांस में दौड़ना चाहिए।

नोट :

1. पैरा 11.0 में यथानिर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) को पीइटी में सम्मिलित होने से छूट दी जाती है। फिर भी, सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे उम्मीदवारों को पीडब्ल्यूबीडी के लिए निर्धारित चिकित्सा जांच में उत्तीर्ण होना होगा।
2. यह सुनिश्चित करना उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि वे पीइटी में भाग लेने के लिए चिकित्सीय रूप से उपयुक्त हैं। पीइटी में भाग लेने के परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को चोट/नुकसान पहुंचने के लिए रेलवे उत्तरदायी नहीं होगा।

14.3 दस्तावेज सत्यापन एवं उम्मीदवारों की नामिका तैयार करना :

सीबीटी में उम्मीदवारों के प्रदर्शन एवं पीइटी में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन हेतु रिक्तियों की संख्या के दो गुणा उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा।

तथापि, नामिकाबद्ध हेतु इन अतिरिक्त उम्मीदवारों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वक्रिंग पद अथवा/और किसी अन्य विशेष मांग पर अनुशंसित उम्मीदवारों के कार्यग्रहण न करने के कारण शॉर्टफॉल के विरुद्ध योग्यता सूची अथवा/और प्रतिस्थापन से नामिका में कोई शॉर्टफॉल हो।

यदि दो या अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो उनकी मेरिट स्थिति का निर्धारण उनके उम्र संबंधी मानदंड से किया जाएगा अर्थात् ज्यादा उम्र के उम्मीदवारों को उच्च वरीयता दी जाएगी और समान उम्र होने पर वर्णक्रमानुसार (ए से जेड) नाम इस बराबरी को तोड़ने के लिए लिए जाएंगे।

चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति रेल प्रशासन द्वारा आयोजित अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता जांच उत्तीर्ण करने, शैक्षिक एवं समुदाय प्रमाणपत्र के अंतिम सत्यापन और उम्मीदवारों के पिछले जीवन/चरित्र के सत्यापन के अधीन होगी।

यह भी उल्लेखनीय है कि दस्तावेज सत्यापन में सफल सभी उम्मीदवारों को चिकित्सा जांच के लिए भेजे जाते हैं। अतिरिक्त उम्मीदवारों के ऐसी चिकित्सा जांच पूरा करने से (जो रिक्तियों की अधिसूचित संख्या से अधिक दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाते हों) ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए कोई अधिकार नहीं होगा।

उम्मीदवार कृपया ध्यान दें कि आरआरबी/आरआरसी केवल पैनलबद्ध उम्मीदवारों के नाम की अनुशंसा करता है और नियुक्ति केवल संबंधित रेल प्रशासन द्वारा प्रदान की जाती है।

15.0 अंकों का सामान्यीकरण :

जब भी सीबीटी एक ही पाठ्यक्रम के लिए कई सत्रों में आयोजित किया जाता है, तो विभिन्न चरणों के लिए उम्मीदवारों की चयन उनके द्वारा प्राप्त सामान्यीकृत अंकों के आधार पर होगी। सीबीटी से पीइटी(यथालागु) उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग और दस्तावेज सत्यापन हेतु अपनाई गई सामान्यीकरण विधि नीचे निर्दिष्ट है।

15.1 बहु-सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना :

सीबीटी में, कई सत्रों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन बहु सत्र पेपरों के लिए विभिन्न सत्रों में प्रश्न पत्रों के कठिन स्तरों में हुए किसी भी परिवर्तन को समाविष्ट करने के लिए एक उपयुक्त सामान्यीकरण लागू किया जाएगा। बहु सत्र पेपरों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना हेतु सूत्र नीचे दिया गया है :

i th सत्र में j th उम्मीदवार का सामान्यीकृत अंक \bar{M}_{ij} द्वारा दिया जाता है :

$$\bar{M}_{ij} = \frac{\bar{M}_i^g - M_q^g}{M_{ii} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : i th सत्र में j th उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वास्तविक अंक।

\bar{M}_i^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक हैं।

M_q^g : सभी सत्रों को ध्यान में रखते हुए पेपर में उम्मीदवारों के माध्य और मानक विचलन अंकों का जोड़ है।

M_{ii} : i th सत्र में टॉप 0.1% उम्मीदवारों के औसत अंक या यदि सत्र की संख्या 1000 से कम हो, तो टॉपों के अंक हैं।

M_{iq} : i th सत्र के माध्य अंक और मानक विचलन का जोड़ है।

फिर भी, रेल प्रशासन को फार्मूले में संशोधन करने/तकनीकी महत्व के भिन्न फार्मूले अपनाने का अधिकार है।

16.0 आवेदन कैसे करें :

- क) उम्मीदवार अपनी पात्रता के अनुसार किसी एक रेलवे के अधिसूचित पदों के लिए पैरा 21.0 (क) पर सूचीबद्ध आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर केवल ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- ख) आरआरबी वेबसाइटों पर उपयुक्त लिंक पर क्लिक करके आवेदन भरने से पहले सीईएन में दी गई सभी सूचनाएँ और निर्देश पूरी तरह से पढ़ें। यह आवश्यक है कि उम्मीदवार आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए अधिसूचना की सारी सूचना को अच्छी तरह से समझ लें।
- ग) आवेदन भरने से पहले जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए हुए दस्तावेज़ तैयार रखें
उम्मीदवार को शीघ्रता से आवेदन भरने के लिए आवेदन वाले पेज पर लॉग इन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ डिजिटल फार्म में तैयार रखना चाहिए :-
- उम्मीदवार का रंगीन फ़ोटो : 20 केबी से 50 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फ़ोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1(0) (3) देखें।
 - उम्मीदवार के हस्ताक्षर : 10 केबी से 40 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया हस्ताक्षर के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (0) (4) एवं (5) देखें।
 - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र (केवल निःशुल्क यात्रा पास माँगने वाले उम्मीदवारों के लिए) :
50 केबी से 100 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया अजा/अजजा प्रमाणपत्र अपलोड करने के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (P) देखें)।
 - स्क्राइव फ़ोटो (जहाँ लागू हो) : 20 केबी से 50 केबी आकार का जेपीईजी इमेज। (कृपया फ़ोटो के विनिर्देश के संबंध में पैरा 15.1 (0) (3) देखें।
- घ) उम्मीदवार की योग्यता और आरक्षण कोटि के लिए रेलवे वाइज रिक्तियों की जाँच करें : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उनकी शैक्षिक योग्यता हेतु सभी रेलवे द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के लिए इस सीईएन में रिक्ति तालिका की जांच करें तथा सुनिश्चित करें कि वे ऑनलाइन आवेदन जिस रेलवे को करना चाहते हैं उसमें अपनी शैक्षिक योग्यता तथा समुदाय/कोटि की रिक्तियां हैं और अर्हक आयु व चिकित्सा मानक रखते हैं।
- ङ) रिक्तियों की उपलब्धता और अधिसूचित विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवार की पात्रता शीघ्र सुनिश्चित करने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जा सकते हैं :
- पद मानदंड तालिका :- पद मानदंड तालिका के ऊपर क्लिक करें। पद मानदंड तालिका से उम्मीदवार पद (पदों) का पता लगा सकते हैं कि वे समुदाय, योग्यता एवं श्रेणी जैसे पीडब्ल्यूबीडी तथा आवश्यक चिकित्सा मानक इत्यादि के अनुसार किसके लिए पात्र हैं।
 - रिक्ति तालिका : अपनी पात्रता के लिए रेलवे के अधिसूचित सभी पदों की रिक्ति का व्यापक विवरण का पता लगाने के लिए उम्मीदवार रेलवे की ड्रॉप डाउन सूची से रेलवे का चयन कर सकते हैं और पात्रता मापदंडों का चयन करते हुए विभिन्न रेलवे के अधिसूचित पदों की सभी रिक्तियों को देख सकते हैं।
 - रिक्ति तालिका की जाँच करने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता/समुदाय/ईडब्ल्यूएस/सीसीए/पीडब्ल्यूबीडी/एक्सएसएम कोटि आदि के लिए विद्यमान रिक्तियों को विधिवत् सुनिश्चित करते हुए उस रेलवे को तय कर सकते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।

- एक बार रेलवे भर्ती बोर्ड का चयन हो जाने के पश्चात् प्रारंभिक पंजीकरण पूरा हो जाता है और पंजीकरण संख्या आवंटित कर दी जाती है, इसके पश्चात् किसी भी परिस्थिति में आरआरबी/आरआरसी को बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- च) उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन को ध्यान से भरने के लिए दिए गए लिंक पर जाने की आवश्यकता है और व्यक्तिगत विवरण/ बायो-डेटा, शुल्क आदि को ध्यानपूर्वक जमा करना है। उन्हें पदों एवं रेलवे के लिए अपने विकल्प/ वरीयता का प्रयोग करने की भी आवश्यकता होगी।

छ) उम्मीदवार कृपया ध्यान दें :

- इस सीईएन में कई पदों और अन्य आवश्यकताओं को अधिसूचित किया गया है। उम्मीदवारों को अपनी पदवार और रेलवे/ उत्पादन इकाईवार वरीयताओं को बहुत सावधानी से दर्शाना आवश्यक है। एक बार ऑनलाइन आवेदन में प्रयोग किए गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद और रेलवे इकाई के लिए विकल्प के प्रयोग में सावधानी बरतें। आरआरबी/आरआरसी उम्मीदवारों को योग्यता और रिक्ति की स्थिति पद के विकल्पों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को पद और रेलवे आवंटित करेंगे। तथापि, प्रशासनिक अनिवार्यताओं/ आवश्यकताओं के मामले में, आरआरबी/आरआरसी को किसी पद/रेलवे को आवंटित करने का अधिकार है जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।
- आंशिक विकल्प वाले उम्मीदवारों को केवल उनके द्वारा चुने गए विशिष्ट कोटियों के लिए विचार जाएगा, क्योंकि कुछ कोटियों या सभी कोटियों के लिए गैर विकल्प उसके लिए उनकी अनिच्छा को प्रदर्शित करेगा।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत वैध ई-मेल आईडी को सक्रिय रखें, क्योंकि आरआरबी/आरआरसी से सभी सूचनाएँ केवल एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएँगी। इस सीईएन के तहत एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी के माध्यम से केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति है। आरआरबी/आरआरसी किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते को बदलने के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि संबंधित आरआरबी/आरआरसी के साथ भर्ती प्रक्रिया/ पत्राचार के आगे के चरणों के लिए अपना पंजीकरण संख्या नोट करके एवं संभालकर रखें।

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस सीईएन के बारे में किसी भी परिवर्तन की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए बारंबार आरआरबी/आरआरसी के वेबसाइट पर जाएँ।

उम्मीदवारों को वैध दस्तावेजों के साथ यह प्रमाणित करना है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई सभी जानकारी सही है।

16.1 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के चरण :

उपर्युक्त पैरा 16.0 क, ख, ग व घ की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यों को पूर्ण करें :

- क) उस रेलवे का चयन करें, जहाँ आप आवेदन करना चाहते हैं। कृपया ध्यान रखें कि प्रारंभिक पंजीकरण पूर्ण होने और पंजीकरण संख्या आवंटित होने के बाद एक बार चयनित रेलवे को बदला नहीं जा सकता है।
- ख) चेक बॉक्स पर क्लिक करके पुष्टि करें कि आपने निर्देश स्पष्ट रूप से पढ़ और समझ लिया है। 'न्यू रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक करें।
- ग) पंजीकरण विवरण : सामान्य निर्देश के पैरा 1.7 के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम, माता का नाम, आधार संख्या, एसएसएलसी / मैट्रिक, पंजीकरण संख्या, उत्तीर्ण होने का वर्ष, मोबाइल

नंबर और ई-मेल-आईडी दर्ज करें और तत्पश्चात् पंजीकरण के लिए जमा(सबमिट) करें। केवल आइटीआइ/एनएसी योग्यता वाले उम्मीदवार एसएसएलसी/मैट्रिक के बदले आइटीआइ/एनएसी योग्यता के लिए पंजीकरण संख्या/उत्तीर्ण वर्ष की प्रविष्ट कर सकते हैं। **पंजीकरण के लिए सबमिट करने से पहले, सुनिश्चित और पुष्टि करें कि उपर्युक्त दी गई सभी जानकारी सही हैं, क्योंकि पंजीकरण के लिए दिया गया विवरण बाद में नहीं बदला जा सकता है।** कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण के लिए प्रयुक्त ई-मेल आईडी स्वयं आपकी और अनन्य होनी चाहिए। यह भी ध्यान दें कि ई-मेल और मोबाइल नंबर दोनों को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान सत्यापित किया जाएगा। *इस सीइएन के अंतर्गत एक मोबाइल नंबर और एक ई-मेल आईडी द्वारा केवल एक ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति है।*

घ) ओटीपी के माध्यम से ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का सत्यापन : प्रारंभिक विवरण प्रस्तुत करने पर उम्मीदवार को पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। पंजीकरण विवरण के साथ ओटीपी भी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजा जाएगा। उम्मीदवार को ई-मेल और मोबाइल से पुनः ओटीपी प्राप्त करना होगा और तब आवेदन भरने और भुगतान करने के लिए ओटीपी दर्ज करना होगा। उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के दौरान आगे के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण संख्या को नोट करें और संभाल कर रखें और पंजीकरण संख्या की माँग के लिए किसी भी अनुरोध पर आरआरबी/आरआरसी विचार नहीं करेगा।

ङ) उम्मीदवार पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का प्रयोग कर होम पेज पर "ऑलरेडी रजिस्टर्ड" बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

च) आवेदन पृष्ठ के भाग-। में शैक्षणिक योग्यता, समुदाय अर्थात् यूआर/ओबीसी-एनसीएल/एससी/एसटी/इडब्ल्यूएस, लिंग, धर्म, पूर्व सैनिक, पीडब्ल्यूबीडी, सीसीएए, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और आयु छूट पात्रता श्रेणी(यथा लागू) के विवरण एवं अन्य विवरण दें।

छ) आवेदन पृष्ठ के भाग II में उम्मीदवार को पदों के संबंध में अपनी प्राथमिकता / वरियता बताना है।

पदों के लिए प्राथमिकता/ पसंद निर्धारित करें : यदि उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य विवरणों के आधार पर एक से अधिक पदों के लिए पात्र है, तो उसे इन पदों के लिए प्राथमिकता / वरियता निर्धारित करनी होगी। पदों की सूची (चुने गए रेलवे में) जिसके लिए एक उम्मीदवार पात्र है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह यदि चुने गए रेलवे में एक से अधिक रेलवे के लिए रिक्तियाँ हैं, तो ऐसी सभी रेलवे के लिए रिक्तियाँ, जिनके लिए उम्मीदवार पात्र है, को सूचीबद्ध किया जाएगा। जिस रेलवे के लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं, उसके जिन पदों के लिए वे पात्र हैं, उसके प्रत्येक पद के लिए टेक्स्ट बॉक्स में अपनी प्राथमिकता/ पसंद संख्या को भरना होगा।

ज) **भुगतान एवं बैंक खाता विवरण :**

i) उपर्युक्त अनुसार आवेदन विवरण पूरा होने पर उम्मीदवार को पैरा 7 में बताए गए अनुसार भुगतान विधि अर्थात् बैंक (ऑनलाइन नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड/ यूपीआई और ऑफलाइन चालान) या पोस्ट ऑफिस चालान चुनने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। भुगतान की विधि का चयन करें और भुगतान प्रक्रिया को पूर्ण करें। अगर ऑनलाइन भुगतान असफल होता है तो उम्मीदवार को दूसरी वार भुगतान करना है। कृपया भुगतान की प्रत्येक विधि के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय को नोट करें और समय पर आवेदन प्रस्तुत करें।

ii) बैंक-ऑफलाइन मोड के माध्यम से भुगतान करने वालों को भुगतान की पुष्टि में 2 घंटे लग सकते हैं और इसलिए उन्हें 2 घंटे बाद भुगतान की स्थिति की पुष्टि करने के लिए फिर से लॉग इन करना होगा।

iii) डाकघर के भुगतान के मामले में भुगतान की पुष्टि की समय अवधि 24 घंटे से 48 घंटे तक होगी।

विशेष ध्यान दें : जब कभी बैंक भुगतान में कोई विफलता हो तो उम्मीदवार बैंक को संपन्न करें न कि आरआरबी को। कार्ड भुगतान के लिए प्रभार वापसी दावा(चार्ज बैक क्लेम) की अनुमति नहीं है क्योंकि भुगतान पंजीकरण, आवेदन के भरने और पदों के लिए वरीयता देने संबंधी सेवाएं प्राप्त करने के बाद किया जा रहा है।

- झ) **पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब** : यदि आप पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं तथा स्क्राइब के लिए पात्र हैं, तो स्क्राइब के लिए विकल्प चुनें। केवल नेत्रहीनों (VI) उम्मीदवार या जिन उम्मीदवारों की लेखन की गति सेरेब्रल पाल्सी/ पेशी अपविकास/ लोकोमोटर विकलांगता (एक हाथ)/ बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट अधिगम विकलांगता और मानसिक बीमारी) से पीड़ित होने के कारण प्रभावित है, वे इस सीईएन में स्क्राइब का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। यदि आपने स्क्राइब तय कर लिया है, तो उस स्क्राइब का विवरण दर्ज करें, जैसे नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि। स्क्राइब के रूप में जिस व्यक्ति की व्यवस्था की गई है, वह स्वयं उस अधिसूचना के लिए उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है तथा उसी स्क्राइब का एक से अधिक उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- ञ) **विस्तृत शैक्षणिक योग्यता** : आवेदन में आवश्यक योग्यता संबंधित सभी जानकारी प्रस्तुत करें।
- ट) **परीक्षा भाषा का चयन** : अंग्रेज़ी डिफ़ॉल्ट भाषा है। यदि उम्मीदवार किसी अन्य भाषा को चुनना चाहता है, तो भाषाओं की ड्रॉप डाउन सूची से उसे चुना जा सकता है। भाषाओं की सूची में असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू हैं। अंग्रेज़ी और चुनी हुई भाषा के बीच प्रश्नों में कोई अंतर/ विसंगति/ विवाद के मामले में अंग्रेज़ी संस्करण की सामग्री मान्य होगी।
- ठ) उम्मीदवारों को आवेदन में किसी वैध फोटो आइडी के विवरण भरने होंगे जिसे उन्हें मूल रूप में सीबीटी, पीइटी, डीवी, चिकित्सा अथवा परीक्षा के किसी बाद के चरणों के दौरान पहचान प्रमाण के रूप में लाना होगा। वैध फोटो आइडी कार्ड निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए :-
- मतदाता कार्ड,
 - आधार कार्ड,
 - ई-आधार का प्रिंटआउट (आधार का फोटो स्टेट/स्कैन किया हुआ प्रति नहीं),
 - ड्राइविंग लाइसेंस,
 - पैन कार्ड,
 - पासपोर्ट,
 - नियोक्ता द्वारा जारी किया गया परिचय कार्ड, यदि उम्मीदवार कोई सरकारी सेवक हो,
 - कॉलेज/यूनिवर्सिटी आइडी कार्ड, यदि अब भी अध्ययनरत हो।
- शेष स्थानों अर्थात् मातृभाषा, तिल/पहचान चिह्न, पता इत्यादि को भरें।
- ड) **धन-वापसी के लिए बैंक खाते का विवरण** : - पैरा 7 में उल्लिखित विवरण के अनुसार सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए पात्र हैं। जिन उम्मीदवारों ने जिस खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया है, उसी खाते में अपना धन वापसी प्राप्त करने की पुष्टि कर दिए हैं, उन्हें इन विवरणों को भरने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए यह उनके लिए दिखाई नहीं देगा। (i) केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जिन्होंने ऊपर दिए गए शुल्क भुगतान खाते के रूप में धन वापसी का विकल्प नहीं चुना है, उन्हें उस

लाभार्थी खाते का विवरण यथा ऑनलाइन आवेदन में लाभार्थी का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करना, जिसमें वे धनवापसी प्राप्त करना चाहते हैं। (ii) जिन उम्मीदवारों ने डाकघर अथवा एसबीआई चालान के माध्यम से अपने शुल्क जमा किए हैं, उन्हें लाभार्थी के उस खाते में विवरण देना होगा, जिसमें वेतन वापसी चाहते हैं।

ढ) उम्मीदवार अन्य संगठनों में भर्ती के लिए उन मंत्रालयों/ विभागों/पीएसयू और निजी संगठनों के साथ आरआरबी/आरआरसी परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों को साझा करने के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं।

ण) फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना :

1. उम्मीदवार को स्वतः ही आवेदन के 'फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड' भाग के लिए निर्देशित किया जाएगा।
2. 'अपलोड फ़ोटो' टैब का चयन करें और अपनी रंगीन फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो निम्न अनुसार होनी चाहिए :-

3. फ़ोटो के लिए विनिर्देश :

- क. सफ़ेद/ हलके रंग की पृष्ठभूमि के साथ रंगीन पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए।
- ख. उसका आकार 35 मिमी x 45 मिमी या 320 x 240 पिक्सेल होना चाहिए।
- ग. यह जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
- घ. फ़ोटो का आकार 20-50 केबी के बीच होना चाहिए।
- ङ. रंगीन फ़ोटो किसी प्रोफेशनल स्टूडियो में दिनांक 01.01.2019 को या उसके बाद लिया हुआ होना चाहिए। मोबाइल से खींची गई फ़ोटो और स्वयं के द्वारा बनाए गए पोर्ट्रेट के मामले में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- च. फ़ोटो में उम्मीदवार का चेहरा स्पष्ट एवं सामने से होना चाहिए तथा वह बिना किसी टोपी और धूप के चश्मे के हो।
- छ. कैमरे में देखते हुए पूरा चेहरा होना चाहिए तथा फ़ोटो का कम-से-कम 50% भाग में चेहरा होना चाहिए।
- ज. चेहरे का मुख्य भाग सिर के बाल, किसी भी कपड़े या किसी भी परछाई से ढंका नहीं होना चाहिए।
- झ. माथा, आँखें, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए।
- ञ. यदि उम्मीदवार चश्मा पहनता है, तो फ़ोटो में चश्मे पर कोई चमक/ परावर्तन नहीं होना चाहिए और आँखें स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- ट. फ़ोटो को सभी सीबीटी, पीइटी, दस्तावेज़ सत्यापन तथा चिकित्सा जांच वाले दिनों में उम्मीदवार के चेहरे के साथ मेल खाना चाहिए। सादा चश्मा पहनने वाले उम्मीदवार के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है कि मूँछें और दाढ़ी शेव कर रखें अथवा फोटो खिंचवाते समय विशेष केश-विन्यास (हेयर स्टाइल) रखें। सीबीटी, पीइटी, डीवी और चिकित्सा जांच के चरण में इनमें कोई पर्याप्त फेरबदल अथवा कोई अन्य अलग विशेषताएं पाए जाने पर उम्मीदवारी अस्वीकृत की जा सकती है।
- ठ. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल ऊपर दिए गए विनिर्देशों के अनुसार पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना चाहिए, न कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र में उपयोग पूरे शरीर का फ़ोटो।
- ड. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के दौरान और जब भी आवश्यक हो, उसी फ़ोटो की कम-से-कम 12 (बारह) प्रतियाँ आगे उपयोग के लिए रखें।

4. अपलोड सिग्नेचर टैब चुनें और अपना स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर अपलोड करें। हस्ताक्षर का इमेज निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

5. **हस्ताक्षर इमेज के लिए विनिर्देश :**

- क. आवेदक को 50 मिमी x 20 मिमी आकार वाले बॉक्स में काले रंग की स्याही से सफ़ेद कागज़ पर हस्ताक्षर करना होगा।
- ख. हस्ताक्षर रनिंग अक्षरों में होना चाहिए और बड़े अक्षरों में नहीं होना चाहिए।
- ग. इमेज जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में और 100 डीपीआई रिज़ॉल्यूशन में स्कैन किया हुआ होना चाहिए।
- घ. इसका आयाम 50 मिमी x 20 मिमी या 140 x 60 पिक्सेल होना चाहिए।
- ङ. फ़ाइल का आकार 10 केबी- 40 केबी के बीच होना चाहिए।

टिप्पणियां :-

- i. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा होना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।
- ii. आवेदकों के पंजीकरण के दौरान किए गए हस्ताक्षर और सीबीटी/पीडी/दस्तावेज़ सत्यापन/चिकित्सा जांच के समय प्राप्त हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।
- iii. यदि यह पाया जाता है कि हस्ताक्षर का कोई मेल नहीं है, तो उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, कानूनी मुकदमा चलाया जाएगा और उम्मीदवार को आरआरबी/आरआरसी द्वारा आयोजित सभी रेलवे भर्तियों में सम्मिलित होने से आजीवन वंचित कर दिया जाएगा।

6. **फ़ोटो और हस्ताक्षर को स्कैन करना और आकार बदलना :**

- क. स्कैनर रिज़ॉल्यूशन को न्यूनतम 100 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें।
- ख. कलर को टू कलर पर सेट करें। ऊपर निर्दिष्ट के अनुसार फाइल साईज।
- ग. फ़ोटो/ हस्ताक्षर के किनारे पर स्कैनर में इमेज को लाएं, फिर अपलोड एडिटर का उपयोग करके इमेज को अंतिम आकार में लाएँ (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट गया है)।
- घ. इमेज फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। फ़ाइल के नाम का एक उदाहरण है : image01.jpg या image01.jpeg।
- ङ. फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस को ले जाकर इमेज आयामों की जाँच की जा सकती है। उम्मीदवार आसानी से एमएस पेंट या एमएस आफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग करके .jpeg फॉर्मेट में क्रमशः 50 केबी और 40 केबी के फ़ोटो और हस्ताक्षर प्राप्त कर सकते हैं।
- च. किसी भी फॉर्मेट में स्कैन किए गए फ़ोटो और हस्ताक्षर को .jpg फॉर्मेट में फ़ाइल मेनू में 'सेव ऐज' विकल्प का उपयोग करके सुरक्षित किया जा सकता है और आकार को क्रॉप का उपयोग करके और फिर 'इमेज' मेनू में आकार बदलने का विकल्प लेकर 50 केबी (फ़ोटो) और 40 केबी (हस्ताक्षर) से कम किया जा सकता है। इसी तरह के विकल्प अन्य फ़ोटो एडिटर में भी उपलब्ध हैं।

त) **एससी/एसटी प्रमाणपत्र अपलोड करना :**

एससी/एसटी समुदाय के वे उम्मीदवार, जिन्होंने निःशुल्क रेल यात्रा के लिए विकल्प दिया है, उन्हें अपने एससी/एसटी प्रमाणपत्र (जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट, 50 केबी – 100 केबी) की स्कैन की हुई प्रति निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (द्वितीय श्रेणी रेलवे पास) की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपलोड करना है।
ध्यान दें : यदि फ़ोटो, हस्ताक्षर और एससी/एसटी समुदाय प्रमाणपत्र के लिए फ़ाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

थ) **आवेदन जमा करना :**

अंत में उम्मीदवारों को इस घोषणा की पुष्टि करनी होगी "मैं एतत् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने आवेदित पद के लिए पात्रता मापदंडों को अच्छी तरह पढ़ और समझ लिया है और इसमें दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता/करती हूँ तथा आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और कुछ भी छुपाया या रोका नहीं गया है। मैं यह भी भलीभाँति जानता/जानती हूँ कि यदि किसी भी मामले में कोई भी विवरण भर्ती के किसी भी चरण के दौरान या उसके पश्चात् असत्य पाया जाता है, तो आरआरबी/आरआरसी मुझे आवेदित पद के लिए अयोग्य घोषित करेगा और/ या वर्तमान नियमों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध अन्य कार्रवाई की जा सकती है।"

उपर्युक्त घोषणा की पुष्टि और आवेदन प्रस्तुत करने के बाद उम्मीदवार फाइल को "पीडीएफ" के रूप में सुरक्षित कर सकता है और/ या आवेदन का प्रिंट ले सकता है और इसे संदर्भ और रिकॉर्ड के लिए संरक्षित कर सकता है।

16.2 आवेदन में संशोधन :

- क. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद, यदि उम्मीदवार आवेदन में असावधानीवश हुई गलती को ठीक करने के लिए मामूली सुधार करना चाहते हैं, रेलवे, ई-मेल और मोबाइल नंबर के अलावा अन्य डेटा का सुधार 100/- रुपए (अप्रतिदेय) के संशोधन शुल्क का भुगतान करके कर सकते हैं। संशोधन शुल्क, छूट प्राप्त श्रेणियों सहित सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा और यह शुल्क किसी भी श्रेणी के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
- ख. उम्मीदवार द्वारा एससी/एसटी से यूआर या ओबीसी के लिए अपने समुदाय को संशोधित करने के मामले में उन्हें परीक्षा शुल्क में अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अलावा 250/- रुपए का भुगतान करना होगा, ऐसा नहीं करने पर उनका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ग. इसी तरह यदि कोई उम्मीदवार एक्स-एसएम/ पीडब्ल्यूबीडी/ महिला/ ट्रांसजेंडर से यूआर/ओबीसी-एनसीएल/गैर एक्स-एसएम/गैर पीडब्ल्यूबीडी/पुरुष इत्यादि श्रेणी के लिए परिवर्तन कर रहा है, तो उसे परीक्षा शुल्क का अंतर अर्थात् संशोधन शुल्क के अतिरिक्त 250/- रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका संशोधित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- घ. पंजीकरण और आवेदन विवरण में संशोधन केवल अधिकतम दो बार किया जा सकता है।
- ङ. चेतावनी : जो उम्मीदवार अपने आवेदन को संशोधित करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे सीईएन की अंतिम तिथि और समय से काफी पहले ही कर लें। यदि अंतिम समय की भीड़भाड़ के कारण संशोधन के प्रयास किसी भी स्तर पर विफल हो जाते हैं और किए गए संशोधन को सेव नहीं गया है या समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो आवेदन में पहले प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया जाएगा और इस विषय में किसी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- च. चयनित रेलवे, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं बदला जा सकता है।
- छ. आवेदन के संशोधन के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :
 - i. पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
 - ii. वास्तविक परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए उपलब्ध किसी भी मोड से संशोधन शुल्क का भुगतान करें। सुनिश्चित करें कि भुगतान निर्धारित तिथि और समय के भीतर किया गया है।
 - iii. 'मोडिफाई एप्लीकेशन' बटन पर क्लिक करें।
 - iv. दिए गए निर्देशों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के साथ आगे बढ़ें और आवेदन जमा करें। रिकॉर्ड के लिए नए आवेदन का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें।

16.3 अमान्य आवेदन/ निरस्त आवेदन :

निम्नलिखित कारणों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन निरस्त किए जा सकते हैं :

- क. अमान्य फोटो के कारण जैसे श्वेत एवं स्याम फोटो, टोपी पहनकर खिंचाए गए फोटो और / या काले चश्मे, फोटो जिसकी आकृति ठीक नहीं है, छोटे आकार का फोटो, पूरे शरीर का फोटो, चेहरे का केवल एक तरफ का हिस्सा, फोटो पहचानने योग्य न हो, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, गुप फोटो, सेल्फी फोटो, मोबाइल द्वारा लिया गया फोटो, संशोधित फोटो और दूसरों के बीच खाली फोटो।
- ख. कैपिटल/ ब्लॉक/ असंबद्ध अक्षरों में हस्ताक्षर।
- ग. ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 12.04.2019 तक पद के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रखना।
- घ. निर्धारित से अधिक या कम आयु या गलत तरीके से भरी गई जन्म तिथि।
- ङ. विभिन्न आरआरबी/आरआरसी या एक ही आरआरबी/आरआरसी के लिए एक से अधिक आवेदन। ऐसे सभी मामलों में आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे और ऐसे उम्मीदवारों को आरआरबी/आरआरसी की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा।
- च. किसी भी रेलवे भर्ती बोर्ड/ रेलवे भर्ती सेल की किसी बहिष्कृत सूची में उम्मीदवार का नाम आना।
- छ. अपूर्ण तथा गलत तरीके से फाईल किए गए आवेदन।
- ज. आरआरबी/आरआरसी द्वारा कोई भी अन्य अनियमितता देखी जाने पर उसे अमान्य माना जाए।

टिप्पणी : यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाता है तो उम्मीदवार इस तरह की अस्वीकृति के कारण/कारणों के साथ आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइट पर अपना स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं जो उनके लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस विषय पर किसी प्रकार के पत्राचार पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन के अस्वीकृत होने के कारण कोई परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी, जो उनके ऑनलाइन आवेदन में दिए गए हैं, पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

17.0 सीबीटी, पीइटी और दस्तावेज़ सत्यापन हेतु हॉल टिकट (ई-कॉल लेटर):

- 17.1 सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर ई-बुलावा पत्र और अपलोड विवरण के संबंध में एसएमएस और ई-मेल सूचना भेजी जाएगी। डाक के द्वारा कोई भी बुलावापत्र नहीं भेजा जाएगा। तथापि, उम्मीदवार नियमित रूप से आरआरबी/आरआरसी के वेबसाइटों पर जाएँ, क्योंकि कुछ ऐसे कारणों से एसएमएस और इमेल उम्मीदवारों को नहीं भेजे जा सकते जिन पर आरआरबी/आरआरसी का नियंत्रण न हो।
- 17.2 पात्र उम्मीदवार सभी सीबीटी/पीइटी/दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) की तिथि के 10 दिन पहले से आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइटों से ई-कॉल लेटर के साथ **अनुलग्नक V(डी)** (स्क्राइब के लिए घोषणा, जहाँ लागू हो) डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बुलावा पत्र डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा।
- 17.3 उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनका पूर्णतया पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
- 17.4 एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा प्राधिकार (शयनयान श्रेणी का रेल पास) का लाभ लेने के लिए अपने वैध जाति प्रमाणपत्र के विवरण अपलोड किए हैं, उनके सीबीटी/पीइटी/दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) के ई-कॉल लेटर में निःशुल्क यात्रा प्राधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत

करके टिकट बुक करने की अनुमति होगी। यात्रा के दौरान ये उम्मीदवार एससी/एसटी मूल प्रमाणपत्र और मूल निर्दिष्ट पहचान पत्र अपने साथ रखेंगे, जिसमें जिसमें चूक होने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा करने का दोषी माना जाएगा और तदनुसार उनसे शुल्क वसूला जाएगा।

- 17.5 उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में ई-कॉल लेटर के साथ वैध फोटो पहचान पत्र (यथा मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंट (आधार का फोटो कॉपी नहीं), ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट, शासकीय कर्मचारी होने के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, स्कूल/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र) अगर वर्तमान में पढाई कर रहे हैं की मूल प्रति लानी होगी। इसमें विफल होने की स्थिति में उन्हें सीबीटी/पीइटी/दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) में बैठने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। नाम, जन्मतिथि और पहचान पत्र में फोटो का मिलान ऑनलाइन आवेदन में भरे गए विवरण से होना चाहिए, इसमें चूक होने पर उम्मीदवार को सीबीटी/पीइटी/दस्तावेज़ सत्यापन(यथा लागू) में शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- 17.6 उम्मीदवार को सीबीटी/पीइटी/दस्तावेज़ सत्यापन (यथा लागू) में सम्मिलित होने के लिए आवेदन में अपलोड किए गए फोटो के अनुरूप एक रंगीन फोटो भी (35 मिमी x 45 मिमी आकार का), अवश्य लाना होगा।
- 17.7 उम्मीदवार को परीक्षा के लिए आते समय ई-कॉल लेटर में दिए गए खाली स्थान को स्व-घोषणा पैराग्राफ लिखने (सीबीटी के दौरान स्क्रीन पर जैसा डिस्प्ले होगा), हस्ताक्षर और बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (एलटीआई) के लिए रिक्त रखना होगा।
- चेतावनी :** उम्मीदवार को केवल परीक्षा हॉल/केन्द्र पर वीक्षक की उपस्थिति में सीबीटी/पीइटी/डीवी (यथा लागू) के स्थल पर स्व घोषणा का पैराग्राफ लिखना, हस्ताक्षर करना और एलटीआई लगाना होगा और परीक्षा समाप्त की समाप्ति से पूर्व उसे वीक्षक को सौंपना होगा। कैपिटल अक्षरों में हस्ताक्षर और / या पहले से स्व घोषणा पैराग्राफ लिखने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 17.8 उम्मीदवार (रों) को आवंटित परीक्षा केंद्र, तिथि और पाली में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के किसी भी अनुरोध को आरआरबी/आरआरसी स्वीकार नहीं करेगा।

18.0 मूल दस्तावेज़ों का सत्यापन और प्रमाणपत्रों के प्रारूप :

- 18.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय सभी दस्तावेज़ों की मूल प्रतियों के साथ सभी दस्तावेज़ों की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही इन उम्मीदवारों को यथा लागू सभी दस्तावेज़ों की स्कैन प्रतियाँ (टू कलर में) अपने दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से पहले www.rbdv.in के माध्यम से अपलोड करना होगा।
- 18.2 सभी प्रमाणपत्र अंग्रेज़ी या हिंदी में ही होने चाहिए। हिंदी/ अंग्रेज़ी में प्रमाणपत्रों के नहीं होने की स्थिति में जहाँ/ जब भी आवश्यक हो स्वप्रमाणित अनूदित संस्करण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।
- 18.3 दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
- 18.4 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उम्मीदवारों द्वारा मूल रूप में लाए जाने वाले दस्तावेज़ (यथा लागू) निम्नानुसार हैं :
1. जन्मतिथि और मैट्रिक परीक्षा योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिक परीक्षा/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र अथवा समतुल्य प्रमाणपत्र। (आवदेन में उल्लिखित उम्मीदवार के नाम और माता/ पिता के नाम का सत्यापन भी इस प्रमाणपत्र में उल्लिखित नामों से किया जाएगा)
 2. यथा लागू एनसीवीटी(एनटीसी/एनएसी)/एससीवीटी प्रमाणपत्र।

3. **अनुलग्नक-I** के अनुसार प्रारूप में एससी/एसटी प्रमाणपत्र।
4. **अनुलग्नक-II** के अनुसार ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र। (दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि से एक वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए)।
5. **अनुलग्नक-II क** के अनुसार ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों द्वारा गैर-क्रीमिलेयर घोषणा।
6. **अनुलग्नक-III** के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र।
7. **अनुलग्नक-III क** के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क में छूट के लिए आय प्रमाणपत्र।
8. **अनुलग्नक-IV** के अनुसार गैर न्यायिक स्टैंप पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा घोषणा।
9. पूर्व सैनिकों के लिए मूल डिस्चार्ज प्रमाणपत्र।
10. यथा लागू **अनुलग्नक-V(क) / अनुलग्नक V(ख) / अनुलग्नक V(ग)** के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र।
11. अनुलग्नक-VII के अनुसार पूर्व सैनिकों के लिए स्व-घोषणा।
12. सेवारत कर्मचारियों के लिए वर्तमान नियोक्ता से नियुक्ति की तिथि से एनओसी।
13. सेवारत रक्षा कर्मिकों (एक्स-एसएम) के लिए सेवा मुक्ति की संभावित तारीख के साथ एनओसी।
14. पैरा 1.7 में वर्णित अनुसार औपचारिक नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्रित अधिसूचना और/ या अन्य कानूनी दस्तावेज़।
15. एसबीआई शाखा में चालान के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान की रसीद या कंप्यूटरीकृत डाकघर की पे-इन-स्लीप।
16. ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों द्वारा स्वप्रमाणन।
17. जम्मू व कश्मीर आवासीय प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
18. पैरा 4.1(एफ) के अनुसार भारत सरकार के द्वारा जारी पात्रता प्रमाणपत्र।
19. यथा लागू सक्षम न्यायालय से तलाक/ कानूनी अलगाव की डिक्री और इस आशय का शपथपत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
20. विधवा उम्मीदवार के मामले में पति का मृत्यु प्रमाणपत्र और इस आशय का शपथपत्र कि उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
21. पूर्व सैनिक जिन्होंने इस सीईएन के लिए आवेदन करने के बाद असैनिक रोज़गार प्राप्त कर लिया है, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के बाद जल्द-से-जल्द संबंधित नियोक्ता को इस सीईएन के तहत दिए गए आवेदन के विवरण के बारे में स्व घोषणा देनी चाहिए। दस्तावेज़ सत्यापन के समय इस घोषणा की पावती कॉपी के साथ असैनिक नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
22. सीईएन-आरआरसी-01/2019 में संलग्न अनुलग्नकों में कोई अनुलग्नक-VI नहीं है क्योंकि यह इस सीईएन के लिए संगत नहीं है।

टिप्पणियां :-

- i. वे उम्मीदवार जो आरक्षित रिक्तियों/ या आयु सीमा में छूट के लिए विचार किया जाना चाहते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आवश्यक संबंधित दस्तावेज़ मूल प्रति में दस्तावेज़ सत्यापन के समय निर्धारित प्रारूप में अवश्य ही जमा करेंगे। अन्यथा यदि उन पर लागू होता है, तो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/इडब्ल्यूएस/एक्स-एसएम/सीसीए/पीडब्ल्यूबीडी होने के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/ आवेदन को अनारक्षित (यूआर) समुदाय के लिए विचार किया जाएगा, यदि पात्र हों। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- ii. अनन्तिम या नियमित जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र में जारी तिथि होनी चाहिए। यदि इन प्रमाणपत्रों के जारी होने की तिथि ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि के बाद है तो समेकित अंक सूची में अंतिम अर्हक परीक्षा के परिणाम के जारी होने की तिथि या प्रत्येक सेमेस्टर के परिणाम के जारी होने की तिथि सहित प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूचियाँ सबमिट करनी चाहिए। इन प्रमाणपत्रों में तिथि उपलब्ध न होने की स्थिति में संस्था/ विश्वविद्यालय द्वारा जारी (जिसमें परिणाम के जारी होने की तिथि इंगित हो) प्रमाणपत्र दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

19.0 पररूपधारण / तथ्यों को छिपाना – चेतावनी :

- 19.1 यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी तरह के अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्थान पर दूसरे को परीक्षा देने के लिए भेजने, पररूपधारण करने का प्रयास करते हुए पाया जाता है, तो उसे आरआरबी/आरआरसी की सभी परीक्षाओं में बैठने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसे रेलवे में कोई भी नियुक्ति लेने पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि उसकी नियुक्ति पहले ही हो चुकी है, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर मुकदमा चलायी जा सकती है।
- 19.2 आरआरबी/आरआरसी को कोई गलत सूचना देने या किसी भी चरण में कोई सूचना जानबूझकर छिपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाएगा और रेलवे या अन्य किसी सरकारी सेवा में किसी भी नियुक्ति हेतु चयन या परीक्षा में बैठने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हो चुकी है, तो उस उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 19.3 यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार की पात्रता और/ या सीबीटी/पीइटी/डीवी में सम्मिलित होने के लिए निःशुल्क यात्रा प्राधिकार सहित विशेषाधिकार पाने के लिए जाली/ नकली प्रमाणपत्र/ दस्तावेज़ जमा करते हुए पाया गया, तो उसकी उम्मीदवारी उस भर्ती विशेष के लिए रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए वह आवेदन किया है। इसके अलावा, आरआरबी/आरआरसी द्वारा संपूर्ण देश में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से 2 वर्ष/ या आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और आवश्यक हुआ, तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
- 19.4 उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित में कोई राजनीतिक या कोई अन्य प्रभाव का इस्तेमाल या प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

20.0 विविध :

- 20.1 आरआरबी/आरआरसी को किसी भी चरण में बिना कोई कारण बताए अतिरिक्त सीबीटी/पीइटी/डीवी आयोजित करने का अधिकार है। आरआरबी/आरआरसी को बिना कोई कारण बताए इस सीईएन अधिसूचना में अधिसूचित कोटियों में से किसी भी कोटि के लिए किसी भी चरण में भर्ती प्रक्रिया या उसके किसी भाग को रद्द करने का अधिकार है।
- 20.2 पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने, निःशुल्क पास जारी करने, गलत सूचना देने पर दंडात्मक कार्रवाई करने, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी का आयोजन, परीक्षा केंद्रों का आबंटन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आबंटन इत्यादि से संबंधित तमाम मामलों के संबंध में आरआरबी/आरआरसी का निर्णय अंतिम होगा और सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा तथा इस संबंध में किसी भी पूछताछ या पत्राचार पर आरआरबी/आरआरसी द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- 20.3 आरआरबी/आरआरसी असावधानी वश हुई किसी भी त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उसे ऐसी त्रुटि को सुधारने का अधिकार है।
- 20.4 इस सीईएन के कारण उत्पन्न किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए न्यायाधिकार क्षेत्र संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होगा जिसके अंतर्गत आरआरबी/आरआरसी स्थित है।
- 20.5 व्याख्या के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आरआरबी/आरआरसी वेबसाइट में प्रकाशित अधिसूचना के अंग्रेज़ी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

21.0 क. विभिन्न आरआरबी के विवरण एवं उनकी वेबसाइटों के पते निम्नानुसार हैं :-

आरआरबी एवं रेलवे का नाम	वेबसाइट पते एवं टेलीफोन नंबर	आरआरबी एवं रेलवे का नाम	वेबसाइट पते एवं टेलीफोन नंबर
अहमदाबाद (प.रे.)	www.rrbahmedabad.gov.in फ़ोन: 079 – 22940858	चेन्नई (द.रे.)	www.rrbchennai.gov.in फ़ोन: 044 – 28275323
अजमेर (उ.प.रे.)	www.rrbajmer.gov.in फ़ोन: 0145 – 2425230	गोरखपुर (पूर्वोत्तर रे.)	www.rrbgkp.gov.in फ़ोन: 0551 – 2201209
इलाहाबाद (उ.म.रे.)	www.rrbald.gov.in फ़ोन: 0532 – 2224531	गुवहाटी (पू.सी.रे.)	www.rrbguwahati.gov.in फ़ोन: 0361 – 2540815
बेंगलूरू (द.प.रे.)	www.rbbnc.gov.in फ़ोन: 080 – 23330378	कोलकाता (पू.रे.)	www.rrbkolkata.gov.in फ़ोन: 033 – 25430108
भोपाल (प.म.रे.)	www.rbbpl.nic.in फ़ोन: 0755 – 2746660	मुंबई (म.रे.)	www.rrbmumbai.gov.in फ़ोन : 022-23090422 फ़ोन: 022 – 23090422
भुवनेश्वर (पू.तट.रे.)	www.rbbbs.gov.in फ़ोन: 0674 – 2303015	पटना (पू.म.रे.)	www.rrbpatna.gov.in फ़ोन: 0612 – 2677680
बिलासपुर (द.पू.म.रे.)	www.rbbilaspur.gov.in फ़ोन: 07752 - 247291	रांची (द.पू.रे.)	www.rbranchi.gov.in फ़ोन: 0651 - 2462429
चंडीगढ़ (उ.रे.)	www.rbcdg.gov.in फ़ोन: 0172 – 2730093	सिकंदराबाद (द.म.रे.)	www.rrbsecunderabad.nic.in फ़ोन: 040 – 27821663

ख. विभिन्न आरआरसी के विवरण एवं उनकी वेबसाइटों के पते निम्नानुसार हैं :-

आरआरसी	वेबसाइट का पता	आरआरसी	वेबसाइट का पता
मध्य रेलवे	www.irccr.com	उत्तर पश्चिम रेलवे	www.nwr.indianrailways.gov.in
पूर्व रेलवे	www.ircer.com	दक्षिण रेलवे	www.rcmas.in
पूर्व मध्य रेलवे	www.ircecr.gov.in	दक्षिण मध्य रेलवे	www.scr.indianrailways.gov.in
पूर्व तटीय रेलवे	www.ircbbs.org.in	दक्षिण पूर्व रेलवे	www.ircesr.co.in
उत्तर रेलवे	www.ircnr.org	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	www.secr.indianrailways.gov.in
उत्तर मध्य रेलवे	www.irald.org	दक्षिण पश्चिम रेलवे	www.irchubli.in
पूर्वोत्तर रेलवे	www.ner.indianrailways.gov.in	पश्चिम रेलवे	www.ir-wr.com
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	www.nfr.indianrailways.gov.in	पश्चिम तध्य रेलवे	www.wcr.indianrailways.gov.in

22.0 इस सीईएन में प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ :

भर्ती प्रक्रिया के चरण	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीइटी = शारीरिक दक्षता परीक्षा, डीवी = दस्तावेज सत्यापन
आरक्षण/ आयु में छूट वर्ग	सीसीएए : कोर्स कम्प्लिटेड एक्ट अप्रेंटिसेस, ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, एक्स.एसएम= पूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल= अन्य पिछड़ा वर्ग- क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग – नॉन क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य)
दिव्यांग व्यक्ति	वीआई=नियमित दृष्टि बाधिता, एचआई = नियमित श्रवण बाधिता, एलडी = नियमित लोकोमोटर अशक्तता, ओडी = नियमित अन्य अशक्तता, एमडी = नियमित बहु अशक्तता, बी-वीआई=बैकलॉग दृष्टि बाधिता, बी-एचआई = बैकलॉग श्रवण बाधिता, बी-एलडी = बैकलॉग लोकोमोटर अशक्तता, बी-ओडी = बैकलॉग अन्य अशक्तता, बी-एमडी = बैकलॉग बहु अशक्तता, एएवी=एसिड हमले के शिकार, एएसडी=स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार, बी=नेत्रहीन, बीएल=दोनों पैर, डी=बधिर, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=श्रवण बाधिता, एचआई=श्रवण बाधिता, आईडी= बैद्धिक दिव्यांगता, एलसी=कुष्ठरोग उपचारित, एलडी=लोकोमोटर दिव्यांगता, एलवी=कमजोर दृष्टि, एमडब्ल्यू= मांसपेशीय कमजोरी, ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, ओएएल=एक हाथ व एक पैर, पीडब्ल्यूबीडी=बेंचमार्ग दिव्यांग व्यक्ति, आरपीडब्ल्यूडी = दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, एसएलडी= बीतचीत एवं भाषा दिव्यांगता, वीआई=दृष्टि हीनता।
रेलवे जोन/ उत्पादन इकाई / संगठन	सीएलडब्ल्यू=चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कस्, चित्तरंजन; म.रे.=मध्य रेलवे, डीएलडब्ल्यू=डीज़ल लोकोमोटिव वर्कस् वाराणसी; डीएमडब्ल्यू=डीज़ल लोको मोडरनैज़ेशन वर्कस्, पटियाला; पू.रे.=पूर्व रेलवे, पू.म.रे.=पूर्व मध्य रेलवे, पू.त.रे.=पूर्व तट रेलवे, आईसीएफ=इंटग्रल कोच फैक्टरी, चेन्नई; एमसीएफ=मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली, उ.रे.=उत्तर रेलवे, उ.म.रे.=उत्तर मध्य रेलवे, पूर्वो.रे.= पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वो.सी.रे.=पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, उ.प.रे.=उत्तर पश्चिम रेलवे, पीएसयू=सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, पीयू=उत्पादन इकाई, आरसीएफ=रेल कोच फैक्टरी, कपूर्थला; आरडीएसओ= अनुसंधान अभिकल्प व मानक संगठन, लखनऊ; रे.=रेलवे, आरआरबी=रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरसी=रेलवे भर्ती सेल, आरडब्ल्यूएफ=रेल पहिया फैक्टरी, बेंगलूरु; आरडब्ल्यूपी=रेल व्हील प्लांट, बेला; द.रे.=दक्षिण रेलवे, द.म.रे.=दक्षिण मध्य रेलवे, द.पू.रे.=दक्षिण पूर्व रेलवे, द.पू.म.रे.=दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, द.प.रे.= दक्षिण पश्चिम रेलवे, प.रे.=पश्चिम रेलवे, प.म.रे.=पश्चिम मध्य रेलवे।
रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)	एडीआई=अहमदाबाद, एआईआई=अजमेर, एएलडी=इलाहाबाद, बीबी=मुंबई, बीबीएस=भुवनेश्वर, बीपीएल=भोपाल, बीएसपी=बिलासपुर, सीडीजी=चंडीगढ़, जीकेपी=गोरखपुर, जीएचवाई=गुवाहाटी, जेएटी=जम्मू श्रीनगर, कीओएल=कोलकाता, एमएएस=चेन्नई, एमएलडी=मालदा, एमएफपी=मुज़फ्फरपुर, पीएनबीई=पटना,

	आरएनसी=रांची, एसबीसी=बंगलूर, एससी=सिकंदराबाद, एसजीयूजे=सिलीगुडी, टीवीसी=तुरुवनंतपुरम।
सामान्य	सीबीएसई=केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड; सीईएन=केंद्रीकृत रोजगार सूचना, जीपी= ग्रेड पे, आईएफएससी= इंडियन फैनान्शियल सिस्टम कोड, जेपीईजी = जाइंट फ़ोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, के.बी.=किलो बाइट, एलटीआई=लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ओटीपी=वन टाइम पासवर्ड, यूपीआई=यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस।
संस्थान / परिषद् / प्रमाणपत्र	आइटीआइ – इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, एनएसी – नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, एनटीसी – नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एनओसी – नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनसीवीटी – नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी – स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग,

चेतावनी :

- प्रभाव के माध्यम से या अनुचित एवं अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर रेलवे में नौकरी सुरक्षित कराने के झूठे वादे देकर धोखा देने का प्रयास करने वाले दलालों और जॉब रैकेटर्स से सावधान रहे। आरआरबी/आरआरसी कभी अपनी ओर से इस कार्य के लिए किसी एजेंट और कोचिंग सेंटरों को बहाल नहीं करती है। व्यक्तियों/एजेंसियों द्वारा किए जा रहे ऐसे दावों के प्रति उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है। अनैतिक तत्वों से सावधान रहें और उनके चंगुल में न फंसे। आरआरबी/आरआरसी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार कर दिया जाएगा और उनपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आरआरबी/आरआरसी के केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएं और अनैतिक तत्वों/दलालों द्वारा प्रस्तुत नकली वेबसाइटों और सोशल मीडिया के अंतर्वस्तु से सावधान रहें।

अजा/अजजा के लिए जाति प्रमाणपत्र

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी*सुपुत्र/सुपुत्री* गाँव/ शहर..... /जिला/ मंडल*..... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*.....जाति*/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के तहत मान्यता प्राप्त है :-

- * संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950.
- * संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950.
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) (भाग ग राज्य) आदेश 1951;
- [अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधित आदेश 1956, मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश, (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित]
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर)* अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- * संविधान (अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह)* अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 जो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित, * संविधान (दादर व नगर हवेली)* अनुसूचित जाति आदेश, 1962.
- * संविधान (दादर व नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश, 1962
- * संविधान (पुदुचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967
- * संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
- * संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970.
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978
- * संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989.
- * संविधान (अजा) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1991
- * संविधान (अजजा) आदेश (संशोधन) अध्यादेश अधिनियम, 1996
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002.
- * अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

2. एक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के मामले में लागू

यह प्रमाणपत्र श्री/ श्रीमती*.....पिता/ माता*.....के श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....निवासी..... गाँव/ शहर*...../जिला/ मंडल*..... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*.....को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया गया है, जो.....जाति/ जनजाति से संबंधित हैं, जिसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक.....से मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी* और/ अथवा* उसका* परिवार राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र.....के जिला/ मंडल*..... गाँव/ शहर* में सामान्यतः निवास करता है।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र.....

* जो लागू नहीं है, कृपया उसे काट दें।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें।

% लागू न होने वाले पैराग्राफ को हटा दें।

टिप्पणी: (क) यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः निवास" का अर्थ लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही है। जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी।

(1) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट / उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त । (2) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट । (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों । (4) उस क्षेत्र के उपविभागीय अधिकारी, जहाँ उम्मीदवार और या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है । (5) केंद्रीय या राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र, जिसे संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। (6) प्रशासक/ प्रशासक के सचिव (लक्कादीव, मिनिकाँय तथा अमीनदीवी द्वीप)।

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र प्रारूप

भारत सरकार के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारीसुपुत्र/ सुपुत्री
.....गाँव/ शहर.....जिला/ मंडल..... राज्य/ संघ
राज्य क्षेत्र..... समुदाय से संबंध रखता है, जिसे भारत सरकार, सामाजिक
न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं.दिनांक * के अंतर्गत अन्य पिछड़ा
वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी*और/ अथवा उसका
परिवारराज्य/ संघ राज्य क्षेत्र
के..... जिला/ मंडलमें सामान्यतः
निवास करता/ करती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग
के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम
संख्या 3 में वर्णित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) और भारत सरकार, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय
ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017** द्वारा
आशोधित, के अंतर्गत नहीं आता है।

दिनांक :

जिला मजिस्ट्रेट/ उप. आयुक्त आदि
(मुहर)

* प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्योरा देना होगा, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती है।

** समय-समय पर यथा संशोधित।

नोट : यहाँ इस्तेमाल किए गए पद "सामान्यतः" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 के अनुसार ही होगा।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2019 के पदों के लिए आवेदन करने वाले
 अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा का प्रारूप
 "मैं,.....सुपुत्र/सुपुत्री.....
 श्री.....गाँव/ शहर/.....जिला
 राज्य.....एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करती हूँ
 कि मैं.....समुदाय (अपनी उप-जाति का उल्लेख करें), जिसे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के
 कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 में अंतर्विष्ट आदेशों के अनुसार
 सेवा में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह
 भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन 08.03.1993 और उत्तरवर्ती कार्यालय ज्ञापन
 संख्या 36033/1/2013-स्थापना(आरईएस) दिनांक 27.05.2013 तथा 13.09.2017 की अनुसूची के
 कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/ वर्गों (क्रीमीलेयर) के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक :

उम्मीदवार का नाम

सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं संपत्ति प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र क्र.. _____

दिनांक : _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____, ग्राम/मुहल्ला _____ डाकघर

_____ जिला _____ राज्य/संघशासित प्रदेश _____ पिन

कोड _____ के मूल निवासी हैं, जिनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है, वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, क्योंकि वित्तीय

वर्ष.....में उनकी/उनके परिवार** की सकल वार्षिक आय* 8 लाख रुपए (आठ लाख रुपए केवल) से कम है। उनके/उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति*** नहीं है

I. 5 एकड़ और उससे ऊपर कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

2. श्री / श्रीमती / कुमारी _____ उस जाति से संबंधित हैं, जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर-----

नाम _____

पदनाम _____

आवेदक का

नवीनतम पासपोर्ट आकार का

अनुप्रमाणित फोटो

* नोट 1 : आय के अंतर्गत सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे इत्यादि शामिल हैं।

** नोट 2 : इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' शब्द में, आरक्षण का लाभ चाहने वाले व्यक्ति के माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन तथा उसके पति/ पत्नी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण को लागू करते समय विभिन्न स्थानों या शहरों / शहरों में एक 'परिवार' द्वारा रखी गई संपत्ति को जोड़ा गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाणपत्र

केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 01/2019 के पदों के लिए
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय
परीक्षा शुल्क छूट की घोषणा का प्रारूप

1. उम्मीदवार का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आयु :
4. आवासीय पता :
5. वार्षिक पारिवारिक आय (शब्दों व अंकों में) :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

जारी करने वाले प्राधिकारी का मोहर :

नोट : आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का मतलब उस उम्मीदवार से है, जिसकी पारिवारिक आय रु. 50,000/- रुपए से कम है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के प्रयोजन से आय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी अधिकृत हैं :

1. जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के स्तर से ऊपर का राजस्व अधिकारी (2) लोकसभा के वर्तमान सांसद, उनके अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए (3) किसी गरीब उपशमन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा जारी बीपीएल कार्ड या अन्य कोई प्रमाणपत्र या रेलवे द्वारा जारी इज़्जत एमएसटी (4) केंद्रीय मंत्री भारत में कहीं भी किसी व्यक्ति के लिए अध्यक्ष/ रेलवे भर्ती बोर्ड को सिफारिश कर सकता है (5) उस जिले के व्यक्तियों के लिए, जहाँ राज्य सभा का वर्तमान सदस्य सामान्यतः निवास करता है।

घोषणा

केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) 01/2019 के पदों के लिए
अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा दस्तावेज़ सत्यापन के समय जमा कराए जाने वाला
परीक्षा शुल्क से छूट की घोषणा का प्रपत्र

मैं, _____ सुपुत्र/सुपुत्री श्री _____
निवासी गाँव/ शहर/ नगर _____ जिला _____ राज्य _____
_____ एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं _____ (केंद्रीय सरकार द्वारा
अधिसूचित अल्पसंख्यक वर्ग दर्शाए यथा मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) से संबद्ध
रखता हूँ/ रखती हूँ।

तारीख :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर :

स्थान :

उम्मीदवार का नाम :

नोट : परीक्षा फीस की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय गैर-न्यायिक
स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना होगा कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा
अधिसूचित किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय (अर्थात् मुस्लिम/ सिख/ ईसाई/ बौद्ध/ जैन/ जोरोस्ट्रियन (पारसी) के
अंतर्गत आता है।

फार्म - V

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(अंगछेदन या अंगों के पूर्णतः स्थायी लकवा होने या बौनापन तथा नेत्रहीनता की स्थिति में)

(नियम 18 (1) देखें)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खिंचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी..... सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/ महीना/ वर्ष).....पुरुष/ महिला.....पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/ गाँव/ गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिपकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि

(क) यह मामला :

- लोकोमोटर अपंगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता से ग्रस्त है (जो लागू हो उस पर सही का चिह्न लगाए)

(ख) उसकी अपंगता का निदान.....

(1) दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) उसके (शरीर का अंग) में.....की स्थायी शारीरिक अपंगता/ नेत्रहीनता.....प्रतिशत (अंकों में) प्रतिशत (शब्दों में) है।

(2) आवेदक ने निवास के सबूत के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है।

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फार्म-VI
दिव्यांग प्रमाणपत्र
(एक से ज्यादा दिव्यांगता होने की स्थिति में)
(नियम 18 (1) देखें)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)

दिव्यांग व्यक्ति का हाल ही में खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का प्रमाणित फोटो (जिसमें केवल चेहरा दिखे)

प्रमाणपत्र संख्या.....

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.....जन्म तिथि (तारीख/ महीना/ वर्ष).....पुरुष/ महिला..... पंजीकरण संख्या..... स्थायी निवासी मकान संख्या.....वार्ड/ गाँव/ गली.....डाकघर.....जिला.....राज्य.....का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसका फोटो ऊपर चिंकाया गया है और मैं आश्वस्त हूँ कि :

(क) वह एक से अधिक अपंगता से ग्रस्त है। उसकी स्थायी शारीरिक बाधा/ अपंगता की सीमा का नीचे चिह्नित अपंगताओं व दी गई तालिका में दर्शाई गयी अपंगता का दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) मूल्यांकन किया गया है :

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/ मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड हमले के शिकार			
7.	कमजोर दृष्टि	#		
8.	दृष्टिहीनता	#		
9.	बधिर	£		
10.	श्रवण बाधिता	£		
11.	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
14.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक रोग			
16.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
17.	मल्टिपल सिरोसिस			
18.	पार्किंसन रोग			
19.	अधिरक्तस्राव			
20.	थेलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है :-

अंकों में% शब्दों में प्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ रही है/ नहीं बढ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/ माह/ वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों हाथ/ पैर, # अर्थात् एक आँख/ दोनों आँखें, £ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

5. चिकित्सा प्राधिकरण के हस्ताक्षर व मुहर :

सदस्य का नाम व मुहर	सदस्य का नाम व मुहर	अध्यक्ष का नाम व मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

फार्म-VII

दिव्यांग प्रमाणपत्र

(फार्म-V व VI में उल्लिखित के अलावा अन्य मामलों में)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम व पता)
(नियम 18 (1) देखें)

प्रमाणपत्र सं दिनांक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री.....

जन्मतिथि (तारीख/ माह/ वर्ष)..... आयु वर्ष..... पुरुष/ महिला पंजीकरण सं.

स्थायी निवासी मकान नं. वार्ड/ गाँव/ गली पोस्ट ऑफिस..... जिला..... राज्य जिनका

फोटो ऊपर चिपकाया गया है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण कर लिया है और मैं आश्वस्त हूँ कि उनका मामला अपंगता का है। उनकी शारीरिक बाधिता/ अपंगता की सीमा के प्रतिशत का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार (.....संख्या और दिशा-निर्देशों के जारी करने की तारीख का उल्लेख किया जाए) किया गया है और इन्हें नीचे तालिका में उल्लिखित संबंधित अपंगता के सामने दर्शाया गया है :-

क्र. सं.	अपंगता	शरीर का प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक बाधिता/ मानसिक अपंगता (%में)
1.	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3.	कुष्ठरोग उपचारित			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड हमले के शिकार			
6.	कमजोर दृष्टि	#		
7.	बधिर	£		
8.	श्रवण बाधिता	£		
9.	बातचीत एवं भाषा दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	त्रिशिष्ट सीखने की दिव्यांगता			
12.	स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	जीर्ण तंत्रिका की स्थिति			
15.	मल्टिपल सिरोसिस			
16.	पार्किंसन रोग			
17.	अधिरक्तस्राव			
18.	थेलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(जो अपंगता लागू न हो उसे काट दें)

(ख) उपर्युक्त को देखते हुए दिशानिर्देशों के अनुसार (जारी की गई संख्या तथा तारीख उल्लेख किया जाए) कुल मिलाकर उसकी स्थायी शारीरिक अपंगता निम्नानुसार है :-

अंकों में% शब्दों में प्रतिशत

2. उपरोक्त स्थिति बढ रही है/ नहीं बढ रही है/ सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन

(i) आवश्यक नहीं है या

(ii) वर्ष माह के बाद सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र----- (तारीख/ माह/ वर्ष) तक वैध होगा।

@ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/दोनों हाथ/ पैर

अर्थात् एक आँख/ दोनों आँखें

£ अर्थात् बायाँ/ दायाँ/ दोनों कान

4. आवेदक ने आवास स्थान के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज़ का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्योरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर)

(नाम व मोहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक/ प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर व मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/ अंगूठे के निशान, जिसके पक्ष में अपंगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी- प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी के सरकारी सेवक न होने के मामले में, यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर होने पर ही वैध होगा। प्रमुख नियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या S.O.908(E), दिनांक 31.12.1996 को प्रकाशित किया गया था

स्क्राइब की सहायता लेने हेतु घोषणा

टिप्पणी : दृष्टि बाधिता वाले (वीआई) उम्मीदवार/ सेरेब्रल पाल्सी के कारण जिनकी लेखन गति प्रभावित हो/ मांशपेशीय दुर्विकास/ लोको मोटर दिव्यांगता वाले उम्मीदवार (एक हाथ)/ बौद्धिक दिव्यांगता वाले (स्वलीनत, स्पेसिफिक लनिंग अपंगता और मानसिक बीमारी) उम्मीदवार स्क्राइब के लिए पात्र हैं।

उम्मीदवार द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले स्क्राइब का विवरण

1. उम्मीदवार का नाम
2. रोल नंबर.....
3. सीबीटी केंद्र का नाम.....
4. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता.....
5. दिव्यांगता का प्रकार.....
6. स्क्राइब का नाम
7. स्क्राइब की जन्म तिथि.....
8. स्क्राइब के पिता का नाम
9. स्क्राइब का पता :

(a) स्थायी पता

(b) वर्तमान पता

10. स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता

11. स्क्राइब का उम्मीदवार के साथ संबंध, यदि कोई हो

12. घोषणा :

- i) हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त व्योरा सत्य है और हमारे ज्ञान व विश्वास के अनुसार सही है। हमने इस परीक्षा में स्क्राइब की सहायता लेने वाले उम्मीदवारों के आचरण के बारे में रेलवे भर्ती बोर्ड के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और एतद् द्वारा उनके पालन का वचन देते हैं।
- ii) हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि स्क्राइब खुद इस परीक्षा में उम्मीदवार नहीं है। हम समझते हैं कि अगर यह पता चलता है कि वह इस परीक्षा का उम्मीदवार है तो हम दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- iii) हम घोषणा करते हैं कि इस परीक्षा में स्क्राइब ने किसी उम्मीदवार के लिए लिखने का काम नहीं किया है/ किसी अन्य उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा में लिखने का काम नहीं करेगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में उम्मीदवार के
बाएँ अंगूठे की छाप

(स्क्राइब के हस्ताक्षर)

उपर्युक्त बक्स में स्क्राइब के
बाएँ अंगूठे की छाप

वीक्षक के हस्ताक्षर

स्क्राइब का हाल ही में
खिंचाया पासपोर्ट आकार
का 3.5 मिमी x 4.5 मिमी का
रंगीन फोटो (जो तीन महीने
से ज़्यादा पुराना न हो)

उक्त बक्स में स्क्राइब के
हस्ताक्षर

पूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत नागरिक रोज़गार के संबंध में पूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

मैं भलीभाँति जानता हूँ कि मैं इस केंद्रीयकृत रोज़गार सूचना (सीईएन) द्वारा की जाने वाली भर्ती के संबंध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति में नियुक्त होने के योग्य नहीं रहूँगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय असैनिक रोज़गार में (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/ सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक आदि) पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की छूट का लाभ उठाकर रोज़गार मिला है।

मैं एतद् द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की भी घोषणा करता हूँ :

क) मैंने सीईएन 01/2019 के पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन हेतु उपस्थित होने से पहले पूर्व सैनिक कोटा का लाभ उठाकर कोई असैनिक रोज़गार प्राप्त नहीं किया है।

ख) मैंने असैनिक रोज़गार में नौकरी पाने के लिए पूर्व सैनिक कोटे का लाभ उठाया है और मैंने असैनिक रोज़गार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सीईएन 01/2019 में अधिसूचित विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन के विवरण के बारे में अपने नियोक्ता को स्व घोषणा/ वचन दिया है। वर्तमान नियोक्ता से स्व घोषणा/ वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रमाणपत्र संलग्न है।

(जो भी लागू न हो, उसे काट दें।)

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर :

नाम :

रोल नंबर :

EX Z r i i l i i i o r W K ^ d W Z D d Z ^

E}	•] P v š]} v	%o š	D] ^ š v	^ μ] š] o] š Ç () Œ W Œ • } v • Á] š Z				P	D] v] u μ u μ š]} v o Y μ o] (] š]} v
				s/	, /	>	D		
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	MECHANICAL	C1	B, LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes	18 to 33 years	10th pass (OR) ITI from institutions recognised by NCVT/SCVT (or) equivalent (OR) National Apprenticeship Certificate (NAC) granted by NCVT
2	ASSISTANT BRIDGE	ENGINEERING	B1	NO	NO	NO	NO		
3	ASSISTANT C&W	MECHANICAL	B1	NO	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	STORES	C1	LV	D, HH	OL, OA	Yes		
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	MECHANICAL	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ELECTRICAL	B2	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
8	ASSISTANT POINTSMAN	TRAFFIC	A2	NO	NO	NO	NO		
9	ASSISTANT SIGNAL & TELECOM	S and T	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	ENGINEERING	B1	NO	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
11	ASSISTANT TL & AC	ELECTRICAL	B1	LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
12	ASSISTANT TL & AC (WORKSHOP)	ELECTRICAL	C1	B, LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
13	ASSISTANT TRD	ELECTRICAL	B1	NO	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
14	ASSISTANT WORKS	ENGINEERING	B1	B, LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	ENGINEERING	C1	B, LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
16	HOSPITAL ASSISTANT	MEDICAL	C1	B, LV	D, HH	OL, LC, DW, AAV	Yes		
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ENGINEERING	B1	NO	NO	NO	NO		

Z s / d / K E a n d T = Signal and Telecommunication; VI = Visually Impaired; HI = Hearing Impaired; LD = Locomotor Disability; MD = Multiple Disability; B = Blind; LV = Low Vision; D = Deaf; HH = Hard of Hearing; OL = One Leg; OA = One Arm; LC = Leprosy Cured; DW = Dwarfism; AAV = Acid Attack Victim; NCVT = National Council for Vocational Training; SCVT = State Council for Vocational Training.

E E}X iiii s E z d
 Z]oÁ Á]• v Á]• À v]• (}œ oo š
 \šœ o Z]oÁ Ç

E}	E u }(šZ W}•š	ZoÇXI%œš	E}X }(s																	
			Wh	h.	^	^	K	t^	d}š	Æ'	z	s	>	,,	D	s	>	,,	D	
~i•	~i•	~i•	~ö•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ô•	~õ•	~î•	~ï•	~î•	~ï•	~î•	~ï•	~î•	~ï•	~î•	~ï•	~î•	~ï•
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	CR	MECHANICAL	284	110	55	199	72	720	144	144	14	9	9	13	0	0	0	0	
2	ASSISTANT BRIDGE	CR	ENGINEERING	22	8	4	14	5	53	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ASSISTANT C and W	CR	MECHANICAL	333	122	78	250	87	870	174	174	0	19	20	31	0	0	0	0	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	CR	STORES	118	47	32	112	34	343	69	69	7	4	4	7	0	0	0	0	
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	CR	MECHANICAL	38	15	10	31	11	105	21	21	0	2	2	2	0	0	0	0	
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	CR	ELECTRICAL	40	14	5	22	9	90	18	18	2	2	2	4	0	0	0	0	
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	CR	ELECTRICAL	4	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	ASSISTANT POINTSMAN	CR	TRAFFIC	413	176	93	307	110	1099	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	CR	S and T	198	76	55	230	62	621	124	124	0	13	12	22	0	0	0	0	
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	CR	ENGINEERING	149	58	29	103	38	377	75	75	0	5	5	7	0	0	0	0	
11	ASSISTANT TL and AC	CR	ELECTRICAL	129	52	39	107	36	363	73	73	8	7	8	15	0	0	0	0	
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	CR	ELECTRICAL	114	44	22	79	29	288	58	58	2	4	4	7	0	0	0	0	
13	ASSISTANT TRD	CR	ELECTRICAL	156	61	30	99	39	385	77	77	0	10	9	18	0	0	0	0	
14	ASSISTANT WORKS	CR	ENGINEERING	279	105	53	189	70	696	139	139	29	26	26	40	0	0	0	0	
16	HOSPITAL ASSISTANT	CR	MEDICAL	46	17	8	30	11	112	22	22	6	3	4	6	0	0	0	0	
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	CR	ENGINEERING	1274	493	246	884	322	3219	644	644	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z]oÁ Ç d}š o					íîõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ	öñõ

•š vřœ o Z]oÁ

E }	E u }(šZ W}•š	ZoÇ Wh	XI %œ š u vř	h	^	^	K	t^	d}š	Æ'	ž s	>	,, D	s	>	,, D
~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	ECR	MECHANICAL	17	6	3	11	4	41	8	8	3	1	2	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	ECR	ENGINEERING	6	2	1	4	2	15	3	3	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	ECR	MECHANICAL	110	43	26	77	29	285	57	57	0	9	11	10	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	ECR	STORES	14	6	3	10	4	37	7	7	2	1	1	1	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	ECR	MECHANICAL	31	11	7	22	8	79	16	16	4	2	3	1	0
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ECR	ELECTRICAL	6	2	1	5	2	16	3	3	1	1	1	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ECR	ELECTRICAL	5	4	2	4	2	17	3	3	0	0	1	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	ECR	TRAFFIC	170	83	53	120	47	473	95	95	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	ECR	S and T	167	62	31	114	42	416	83	83	8	10	8	3	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	ECR	ENGINEERING	82	32	16	57	21	208	42	42	0	3	3	3	0
11	ASSISTANT TL and AC	ECR	ELECTRICAL	50	18	10	34	12	124	25	25	4	6	3	4	0
13	ASSISTANT TRD	ECR	ELECTRICAL	26	17	8	19	8	78	16	16	0	3	3	4	0
14	ASSISTANT WORKS	ECR	ENGINEERING	80	32	18	56	20	206	41	41	9	7	7	8	0
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	ECR	ENGINEERING	16	6	3	9	4	38	8	8	4	2	2	4	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	ECR	MEDICAL	8	3	2	5	2	20	4	4	0	2	1	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ECR	ENGINEERING	581	228	141	409	151	1510	302	302	0	0	0	0	0
Z]oÁ Ç d}š o					ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ	ññ

•š } •š Z]oÁ Ç ~ Z

E}	E u }(šZ W}•š	ZoÇ XI %o OE š u v š	h.	^	^	K	t ^	d}š	Æ'	z s	>	,,	D	s	>	,,	D		
~î•	~î•	~î•	~ò•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ò•	~ó•	~ò•	~ó•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•		
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	ECoR	MECHANICAL	84	33	16	58	21	212	42	42	4	2	2	4	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	ECoR	MECHANICAL	25	6	2	16	6	55	11	11	0	2	2	4	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	ECoR	STORES	2	1	1	2	1	7	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	ECoR	MECHANICAL	14	10	10	1	4	39	8	8	2	3	1	5	0	0	0	0
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ECoR	ELECTRICAL	11	5	2	4	3	25	5	5	2	1	1	1	0	0	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ECoR	ELECTRICAL	1	2	1	2	1	7	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	ECoR	TRAFFIC	163	64	31	113	41	412	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	ECoR	S and T	40	13	6	19	9	87	17	17	2	2	3	2	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	ECoR	ENGINEERING	129	34	12	26	22	223	45	45	0	5	4	6	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	ECoR	ELECTRICAL	2	1	0	1	1	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	ECoR	ELECTRICAL	17	7	4	12	5	45	9	9	1	1	1	1	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	ECoR	ELECTRICAL	34	20	5	11	8	78	16	16	0	2	3	3	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	ECoR	ENGINEERING	55	20	10	35	13	133	27	27	14	4	4	6	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ECoR	ENGINEERING	457	196	98	353	123	1227	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0
Z]oÁ Ç d}š o				ò	î	î	ò	ñ	î	ñ	ò	î	ñ	ñ	ñ	î	ñ	î	î

•š Œv Z]oÁ Ç

E	E u } (š Z W } • š	Z o (W	%o Œ š u v š	E } X } (s															
				h	^	^	K	t ^	d } š	Æ'	z	s	>	,,	D	s	>	,,	D
~ í •	~ í •	~ í •	~ ð •	~ ñ •	~ ò •	~ ó •	~ ô •	~ õ •	~ î •	~ ï •	~ ð •	~ ñ •	~ ò •	~ ó •	~ ô •	~ õ •	~ î •	~ ï •	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	CLW	MECHANICAL	66	26	13	46	17	168	34	34	4	2	2	3	0	0	0	0
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	ER	MECHANICAL	1245	411	206	553	268	2683	537	537	128	76	68	103	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	ER	ENGINEERING	10	4	2	7	3	26	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	ER	MECHANICAL	556	203	97	283	127	1266	253	253	0	15	23	19	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	CLW	STORES	4	1	1	3	1	10	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	ER	MECHANICAL	83	24	11	44	18	180	36	36	2	1	3	3	0	0	0	0
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	ER	ELECTRICAL	119	38	22	77	29	285	57	57	5	3	3	4	0	0	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	ER	ELECTRICAL	164	42	20	93	35	354	71	71	2	1	1	1	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	ER	TRAFFIC	427	130	74	281	101	1013	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	METRO	TRAFFIC	4	2	3	4	1	14	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	ER	S and T	80	11	43	86	24	245	49	49	0	3	3	3	0	0	0	1
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	METRO	S and T	6	2	1	4	1	14	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	ER	ENGINEERING	78	16	11	17	14	136	27	27	0	2	2	3	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	ER	ELECTRICAL	272	70	33	154	59	588	118	118	13	5	5	9	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	METRO	ELECTRICAL	13	7	3	11	4	42	8	8	1	1	1	0	1	1	2	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	CLW	ELECTRICAL	17	6	3	11	4	41	8	8	0	1	1	1	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	ER	ELECTRICAL	318	89	45	73	58	583	117	117	15	5	5	14	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	ER	ELECTRICAL	53	12	5	20	10	100	20	20	0	1	2	2	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	ER	ENGINEERING	36	14	7	25	9	91	18	18	3	1	1	2	0	0	0	0
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	CLW	ENGINEERING	18	6	3	11	4	42	8	8	1	1	1	1	0	0	0	0
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	ER	ENGINEERING	14	6	3	10	4	37	7	7	0	1	1	1	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	CLW	MEDICAL	3	1	1	2	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	ER	MEDICAL	10	2	1	6	2	21	4	4	1	1	1	0	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	ER	ENGINEERING	1322	335	166	792	291	2906	581	581	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	METRO	ENGINEERING	8	3	1	6	2	20	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Z]oÁ Ç				ð õ	í ð ç	ó ç	î ò í	í ì ò	í ì ò ç	î í ó	î í ó	í ó	í î	í î	í ò	í	í	í	í
}À À v] •]v op À v] • } (>tU Z]šŒ vi v v D šŒ}U <}ol š X																			

E } OE š Z v š OE o Z] o Á

E }	E u } (š Z W } • š	Z o Ç W h	X I % OE š u v š	E } X } (s															
				h	^	^	K	t ^	d } š	Æ'	z	s	>	, ,	D	s	>	, ,	D
~ í •	~ í •	~ í •	~ ð •	~ ñ •	~ ò •	~ ó •	~ ô •	~ õ •	~ î •	~ ï •	~ ð •	~ ñ •	~ ò •	~ ó •	~ ô •	~ õ •	~ î •	~ ï •	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	DLW	MECHANICAL	3	1	1	2	1	8	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	NCR	MECHANICAL	299	68	34	63	52	516	103	103	1	8	8	12	0	0	0	
2	ASSISTANT BRIDGE	NCR	ENGINEERING	22	8	8	1	4	43	9	9	0	0	0	0	0	0	0	
3	ASSISTANT C and W	NCR	MECHANICAL	97	29	10	53	21	210	42	42	0	2	2	6	0	0	0	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	DLW	STORES	2	1	1	3	1	8	2	2	0	0	1	0	0	0	0	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	NCR	STORES	41	0	4	4	6	55	11	11	2	1	1	0	0	0	0	
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	NCR	MECHANICAL	31	12	5	28	9	85	17	17	2	0	0	2	0	0	0	
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	NCR	ELECTRICAL	21	10	6	20	6	63	13	13	2	1	1	1	0	0	0	
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	NCR	ELECTRICAL	8	4	0	0	1	13	3	3	1	1	0	1	0	0	0	
8	ASSISTANT POINTSMAN	NCR	TRAFFIC	207	39	13	52	35	346	69	69	0	0	0	0	0	0	0	
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	NCR	S and T	96	39	20	83	26	264	53	53	3	2	3	3	0	0	0	
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	NCR	ENGINEERING	153	59	30	107	39	388	78	78	0	7	8	0	0	0	0	
11	ASSISTANT TL and AC	NCR	ELECTRICAL	33	10	3	30	8	84	17	17	5	2	1	7	0	0	0	
13	ASSISTANT TRD	NCR	ELECTRICAL	64	15	8	34	14	135	27	27	0	1	1	5	0	0	0	
14	ASSISTANT WORKS	NCR	ENGINEERING	90	32	16	63	22	223	45	45	12	5	5	13	0	0	0	
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	NCR	ENGINEERING	8	3	1	5	2	19	4	4	0	0	1	0	0	0	0	
16	HOSPITAL ASSISTANT	DLW	MEDICAL	4	2	1	3	1	17	2	2	0	0	0	0	6	0	0	
16	HOSPITAL ASSISTANT	NCR	MEDICAL	8	3	1	4	2	18	4	4	2	1	1	1	0	0	0	
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	NCR	ENGINEERING	893	343	155	620	224	2235	447	447	0	0	0	0	0	0	0	
Z] o Á Ç d } š o				ò ó	õ ö	ï ï	ñ ñ	ó	ô	õ	ö	ï	ï	ñ	í	ò	ì	ì	
} Ä Ä v] •] v o µ Ä v] • } (> t U s OE v •] X																			

E }œšZ t •š œv Z]o

E }	E u }(šZ W }•š	ZoÇXl Wh	%œš u v š	E }X }(s															
				h.	^	^	K	t^	d}š	Æ'	z s	>	,,	D	s	>	,,	D	
~î•	~î•	~î•	~ô•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ô•	~õ•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	NWR	MECHANICAL	337	127	63	229	84	840	168	168	15	11	10	16	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	NWR	ENGINEERING	10	5	2	7	3	27	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	NWR	MECHANICAL	122	40	20	64	27	273	55	55	0	25	26	13	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	NWR	STORES	44	16	7	31	11	109	22	22	2	2	2	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	NWR	MECHANICAL	36	12	5	19	8	80	16	16	2	3	2	1	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	NWR	TRAFFIC	374	141	72	255	94	936	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	NWR	S and T	127	48	25	88	32	320	64	64	37	16	16	9	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	NWR	ENGINEERING	117	49	23	88	31	308	62	62	0	7	7	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	NWR	ELECTRICAL	38	5	2	10	6	61	12	12	4	6	8	4	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	NWR	ELECTRICAL	64	21	10	3	11	109	22	22	2	2	2	2	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	NWR	ELECTRICAL	58	23	11	39	15	146	29	29	0	6	6	10	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	NWR	ENGINEERING	62	24	11	42	15	154	30	30	6	5	5	7	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	NWR	MEDICAL	14	4	2	16	4	40	8	8	8	7	7	5	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	NWR	ENGINEERING	729	299	131	502	185	1846	369	369	0	0	0	0	0	0	0	0
Z]oÁ Ç d}š o					ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô	ô

E } Œ š Z • š & Œ } v š] Œ Z]

E } ~ î •	E u } (š Z W } • š ~ î •	Zo Ç X I Wh	% Œ š u v š h.	^ ^ K t ^ d } š	E } X } (s															
					Æ ' z s > , , D s > , , D	~ ô •	~ õ •	~ î •	î	î	î	î	î	î	î	î	î	î		
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	NFR	MECHANICAL	68	26	13	47	17	171	34	34	5	2	2	2	0	0	0	0	
2	ASSISTANT BRIDGE	NFR	ENGINEERING	14	6	2	10	4	36	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ASSISTANT C and W	NFR	MECHANICAL	64	26	13	46	17	166	33	33	0	10	10	9	0	0	0	0	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	NFR	STORES	14	6	3	10	4	37	7	7	2	0	1	0	0	0	0	0	
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	NFR	MECHANICAL	10	4	2	7	3	26	5	5	3	2	3	2	0	0	0	0	
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	NFR	ELECTRICAL	9	3	2	6	2	22	4	4	3	1	0	1	0	0	0	0	
8	ASSISTANT POINTSMAN	NFR	TRAFFIC	94	38	19	69	25	245	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	NFR	S and T	44	18	9	32	11	114	23	23	12	5	6	8	0	0	0	0	
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	NFR	ENGINEERING	30	12	5	22	8	77	15	15	0	0	0	1	0	0	0	0	
11	ASSISTANT TL and AC	NFR	ELECTRICAL	29	9	8	19	7	72	14	14	2	2	2	2	0	0	0	0	
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	NFR	ELECTRICAL	20	8	4	14	5	51	10	10	1	1	1	1	0	0	0	0	
13	ASSISTANT TRD	NFR	ELECTRICAL	9	4	2	7	3	25	5	5	0	1	1	1	0	0	0	0	
14	ASSISTANT WORKS	NFR	ENGINEERING	45	17	8	31	11	112	22	22	6	3	3	5	0	0	0	0	
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	NFR	ENGINEERING	4	2	1	3	1	11	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
16	HOSPITAL ASSISTANT	NFR	MEDICAL	83	34	16	58	21	212	42	42	5	5	5	6	0	0	0	0	
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	NFR	ENGINEERING	582	236	119	428	152	1517	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z] o Á Ç d } š o				õ õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ	õ

E } Œ š Z Œ v Z] o Á Ç

E }	E u } (š Z W } • š	Z o Ç X I % Œ š u v š	E } X } (s																
			Wh	h	^	^	K	t ^	d } š	Æ'	z	s	>	,	D	s	>	,	D
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	NR	MECHANICAL	307	120	60	217	78	782	156	156	20	12	10	4	0	0	0	0
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	RCF	MECHANICAL	66	22	24	44	17	173	34	34	0	4	5	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	NR	ENGINEERING	152	59	29	106	39	385	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	NR	MECHANICAL	506	207	103	363	131	1310	262	262	0	48	52	80	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	DMW	STORES	1	0	3	11	2	17	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	NR	STORES	133	47	26	83	32	321	64	64	10	5	6	5	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	RCF	STORES	2	0	3	1	1	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	NR	MECHANICAL	185	72	35	130	47	469	94	94	21	12	12	20	0	0	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	NR	ELECTRICAL	65	26	12	44	16	163	33	33	3	5	2	2	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	NR	TRAFFIC	951	374	184	673	243	2425	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	NR	S and T	246	92	46	169	62	615	123	123	3	13	12	20	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	NR	ENGINEERING	18	7	3	12	4	44	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	NR	ELECTRICAL	216	85	43	151	55	550	110	110	30	14	16	15	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	NR	ELECTRICAL	53	27	14	42	15	151	30	30	3	3	5	2	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	RCF	ELECTRICAL	8	2	3	4	2	19	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	NR	ELECTRICAL	105	41	20	73	27	266	53	53	0	9	9	13	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	NR	ENGINEERING	287	106	54	191	71	709	142	142	38	23	23	26	0	0	0	0
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	DMW	ENGINEERING	5	0	4	13	2	24	5	5	0	1	0	1	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	NR	MEDICAL	13	5	3	10	4	35	7	7	1	2	2	2	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	RCF	MEDICAL	2	0	1	1	1	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	NR	ENGINEERING	1823	725	361	1306	468	4683	937	937	0	0	0	0	0	0	0	0

^}μšZ všOE o Z]oÁ Ç ~

E }	E u }(šZ W}•š	ZoÇ Wh	XI% OE š u	E}X }(s																
				h, ^	^	K	t^	d}š	Æ'	ž	s	>	,,	D	s	>	,,	D		
~í•	~î•	~ï•	~ð•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ô•	~õ•	~î•	~ï•	~ð•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ô•	~õ•	~î•	~ï•	~ð•	~ñ•
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	SCR	MECHANICAL	246	96	49	171	62	624	125	125	6	12	13	4	0	0	0	0	
2	ASSISTANT BRIDGE	SCR	ENGINEERING	65	25	13	44	16	163	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	ASSISTANT C and W	SCR	MECHANICAL	122	48	25	79	31	305	61	61	0	6	6	0	0	0	0	0	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	SCR	STORES	34	13	13	34	11	105	21	21	1	2	2	0	0	0	0	0	
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	SCR	MECHANICAL	88	36	18	64	23	229	46	46	3	3	2	1	0	0	0	0	
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	SCR	ELECTRICAL	40	15	7	29	10	101	20	20	2	1	2	1	0	0	0	0	
8	ASSISTANT POINTSMAN	SCR	TRAFFIC	778	295	148	533	195	1949	390	390	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	SCR	S and T	129	53	25	93	33	333	67	67	4	3	5	1	0	0	0	0	
11	ASSISTANT TL and AC	SCR	ELECTRICAL	68	28	13	49	18	176	35	35	6	1	1	0	0	0	0	0	
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	SCR	ELECTRICAL	33	13	7	23	9	85	17	17	1	2	1	1	0	0	0	0	
13	ASSISTANT TRD	SCR	ELECTRICAL	161	62	30	111	41	405	81	81	0	8	5	4	0	0	0	0	
14	ASSISTANT WORKS	SCR	ENGINEERING	25	10	5	17	6	63	13	13	2	1	1	0	0	0	0	0	
16	HOSPITAL ASSISTANT	SCR	MEDICAL	14	6	3	10	4	37	7	7	6	3	2	0	0	0	0	0	
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	SCR	ENGINEERING	1860	732	366	1320	475	4753	951	951	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z]oÁ Ç d}š o					í	ï	ð	ñ	ó	ô	õ	î	ï	ð	ñ	ó	ô	õ	î	ï

^}μšZ •š všœ o Z]c

E}	E u }(šZ W}•š	ZoÇ XI %œ š u v š	E}X }(ε]																
			Wh	h.	^	^	K	t^	d}š	Æ'	z s	>	,,	D	s	>	,,	D	
~î•	~î•	~î•	~ò•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ò•	~ó•	~ò•	~ó•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	SECR MECHANICAL	41	13	7	7	8	76	15	15	3	1	2	0	0	0	0	0	
3	ASSISTANT C and W	SECR MECHANICAL	48	15	11	18	10	102	20	20	0	2	2	2	0	0	0	0	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	SECR STORES	5	2	1	4	1	13	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	SECR ELECTRICAL	10	2	1	5	2	20	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	
8	ASSISTANT POINTSMAN	SECR TRAFFIC	349	61	32	106	61	609	122	122	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	SECR S and T	16	1	1	4	3	25	5	5	0	1	0	0	0	0	0	0	
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	SECR ENGINEERING	62	23	11	43	15	154	31	31	0	3	3	0	0	0	0	0	
11	ASSISTANT TL and AC	SECR ELECTRICAL	10	2	2	7	2	23	5	5	3	0	2	2	0	0	0	0	
13	ASSISTANT TRD	SECR ELECTRICAL	21	9	4	8	5	47	9	9	0	1	1	1	0	0	0	0	
14	ASSISTANT WORKS	SECR ENGINEERING	30	12	6	21	8	77	15	15	11	21	19	2	0	0	0	0	
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	SECR ENGINEERING	205	79	39	143	52	518	104	104	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z]oÁ Ç d}š o																			

^}μšZ •š Œv Z]oÁ

E }	E u }(šZ W}•š	ZoÇXl Wh	%o Œš u v š	E}X }(s																
				h.	^	^	K	t^	d}š	Æ'	z	s	>	,	D	s	>	,	D	
~í•	~î•	~ï•	~ð•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ô•	~õ•	~î•	~ï•	~ð•	~ñ•	~ò•	~ó•	~ô•	~õ•	~î•	~ï•	~ð•	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	SER	MECHANICAL	322	125	62	224	82	815	163	163	16	10	10	15	0	0	0	0	
3	ASSISTANT C and W	SER	MECHANICAL	230	80	39	160	57	595	113	113	0	10	12	3	0	9	14	6	
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	SER	STORES	33	12	6	22	8	81	16	16	1	1	1	2	0	0	0	0	
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	SER	MECHANICAL	31	11	7	20	8	88	15	15	1	2	2	0	5	3	3	0	
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	SER	ELECTRICAL	101	34	19	65	24	255	49	49	18	5	3	1	6	3	3	0	
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	SER	ELECTRICAL	13	6	2	10	4	40	7	7	1	1	1	1	1	1	1	2	
8	ASSISTANT POINTSMAN	SER	TRAFFIC	165	67	29	108	41	410	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	SER	S and T	79	32	15	57	20	219	41	41	9	5	8	3	2	5	5	4	
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	SER	ENGINEERING	58	23	11	41	15	149	30	30	0	3	3	0	0	1	0	0	
11	ASSISTANT TL and AC	SER	ELECTRICAL	68	26	13	49	17	183	35	35	12	3	4	2	3	2	3	2	
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	SER	ELECTRICAL	39	15	8	27	10	99	20	20	2	1	1	2	0	0	0	0	
13	ASSISTANT TRD	SER	ELECTRICAL	18	6	3	10	4	49	8	8	0	2	1	0	0	2	4	2	
14	ASSISTANT WORKS	SER	ENGINEERING	85	32	16	57	21	211	42	42	13	6	4	10	0	0	0	0	
16	HOSPITAL ASSISTANT	SER	MEDICAL	25	10	6	17	6	67	13	13	1	1	1	1	2	1	0	0	
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	SER	ENGINEERING	666	259	125	438	165	1653	331	331	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z]oÁ Ç d}š o					ó	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	î	ï	ð	ñ	ò	ó	ô	õ

^}μšZ Œv Z]oÁ Ç

E }	E u }(šZ W }•š	ZoÇ Xl %o Œš u v š	E}X }(s																
			Wh	h.	^	^	K	t^	d}š	Æ'	ž	s	>	,,	D	s	>	,,	D
~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•	~î•
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	ICF	MECHANICAL	160	31	75	64	37	367	73	73	10	6	6	0	0	0	0	0
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	SR	MECHANICAL	546	202	101	363	135	1347	269	269	14	22	23	10	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	SR	ENGINEERING	5	2	1	4	1	13	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	SR	MECHANICAL	210	87	32	156	54	539	108	108	0	8	10	11	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	SR	STORES	77	25	8	47	17	174	35	35	1	3	4	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	SR	MECHANICAL	73	28	11	51	18	181	36	36	2	2	4	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	SR	ELECTRICAL	19	3	1	5	3	31	6	6	2	1	1	0	0	0	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	SR	ELECTRICAL	2	0	1	2	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	SR	TRAFFIC	879	216	137	381	179	1792	358	358	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	SR	S and T	139	52	27	82	33	333	67	67	2	5	6	1	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	SR	ENGINEERING	235	91	46	164	60	596	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	SR	ELECTRICAL	152	56	37	85	37	367	73	73	6	5	5	2	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	SR	ELECTRICAL	60	23	11	41	15	150	30	30	1	6	1	0	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	SR	ELECTRICAL	85	23	10	35	17	170	34	34	0	4	5	0	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	SR	ENGINEERING	62	26	19	36	16	159	32	32	3	2	3	1	0	0	0	0
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	SR	ENGINEERING	96	30	11	0	15	152	30	30	0	3	3	0	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	SR	MEDICAL	128	46	27	80	31	312	62	62	6	5	5	2	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	SR	ENGINEERING	1435	412	232	522	289	2890	578	578	0	0	0	0	0	0	0	0
Z]oÁ Ç d}š o				íîñ	ôõö	óíó	ôñ	ôõñ	ãóíó	íóíó	ôóí	óóíó	ì	ì	ì	ì	ì	ì	ì
}À À v] •]v oμ À v] • }(/ &U Z vv]X																			

त.श. व.श.ओ.ओ.ज.ओ.आ.स.

क्र.सं.	पदनाम	वर्ग	विषय	कुल	महिला	अंध	अधिका	कुल	त.श.	द.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.	अ.श.
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	WCR	MECHANICAL	150	42	31	60	31	314	63	63	9	5	5	0	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	WCR	ENGINEERING	19	8	4	14	5	50	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	WCR	MECHANICAL	60	27	10	38	15	150	30	30	0	7	8	5	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	WCR	STORES	15	5	4	10	4	38	8	8	3	1	1	0	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	WCR	MECHANICAL	98	37	17	65	24	241	48	48	12	8	8	0	0	0	0	0
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	WCR	ELECTRICAL	50	17	3	31	11	112	22	22	3	3	2	3	0	0	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	WCR	ELECTRICAL	42	15	0	23	9	89	18	18	3	3	2	3	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	WCR	TRAFFIC	118	70	45	109	38	380	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	WCR	S and T	65	26	11	43	16	161	32	32	4	10	7	3	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	WCR	ENGINEERING	73	29	14	52	19	187	37	37	0	9	6	5	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	WCR	ELECTRICAL	14	4	0	8	3	29	6	6	2	2	2	2	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	WCR	ELECTRICAL	11	6	1	4	2	24	5	5	1	0	1	0	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	WCR	ELECTRICAL	78	28	8	47	18	179	36	36	0	7	7	4	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	WCR	ENGINEERING	155	60	31	108	39	393	79	79	17	23	13	4	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	WCR	MEDICAL	3	1	0	2	1	7	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	WCR	ENGINEERING	645	258	129	466	167	1665	333	333	0	0	0	0	0	0	0	0
Z joA Ç d}š o				ò	ì	î	ô	ö	ø	ù	ú	û	ü	ý	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ	ÿ

t • š Œ v Z] o Á Ç

E } ~ î •	E u } (š Z W } • š ~ î •	Z o Ç X I % Œ š u v š W h	E } X } (s																
			h. ^ ^ K t ^ d } š Æ ' z s > , ' D s > , ' D	~ ð •	~ ñ •	~ ò •	~ ó •	~ ô •	~ õ •	~ í •	~ î •	~ ï •	~ ð •	~ ñ •	~ ò •	~ ó •	~ ô •	~ õ •	
1	ASSISTANT (WORKSHOP)	WR	MECHANICAL	281	114	51	204	72	722	144	144	13	9	9	14	0	0	0	0
2	ASSISTANT BRIDGE	WR	ENGINEERING	29	11	5	22	7	74	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ASSISTANT C and W	WR	MECHANICAL	285	108	54	190	71	708	142	142	0	31	31	51	0	0	0	0
4	ASSISTANT DEPOT (STORES)	WR	STORES	70	24	13	50	18	175	35	35	4	1	2	5	0	0	0	0
5	ASSISTANT LOCO SHED (DIESEL)	WR	MECHANICAL	79	27	14	51	19	190	38	38	18	4	4	7	0	0	0	0
6	ASSISTANT LOCO SHED (ELECTRICAL)	WR	ELECTRICAL	26	10	5	17	6	64	13	13	4	2	2	3	0	0	0	0
7	ASSISTANT OPERATIONS (ELECTRICAL)	WR	ELECTRICAL	15	5	3	10	4	37	7	7	5	0	1	2	0	0	0	0
8	ASSISTANT POINTSMAN	WR	TRAFFIC	666	265	131	473	171	1706	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ASSISTANT SIGNAL and TELECOM	WR	S and T	227	100	42	155	58	582	116	116	39	13	13	21	0	0	0	0
10	ASSISTANT TRACK MACHINE	WR	ENGINEERING	53	10	0	2	7	72	14	14	0	1	2	2	0	0	0	0
11	ASSISTANT TL and AC	WR	ELECTRICAL	151	44	20	75	32	322	64	64	25	9	8	13	0	0	0	0
12	ASSISTANT TL and AC (WORKSHOP)	WR	ELECTRICAL	19	6	3	11	4	43	9	9	1	2	0	2	0	0	0	0
13	ASSISTANT TRD	WR	ELECTRICAL	112	39	23	74	28	276	55	55	0	11	12	17	0	0	0	0
14	ASSISTANT WORKS	WR	ENGINEERING	198	75	38	137	50	498	100	100	48	17	17	25	0	0	0	0
15	ASSISTANT WORKS (WORKSHOP)	WR	ENGINEERING	25	9	5	16	6	61	12	12	1	1	1	2	0	0	0	0
16	HOSPITAL ASSISTANT	WR	MEDICAL	87	29	19	58	22	215	43	43	13	6	5	7	0	0	0	0
17	TRACK MAINTAINER GRADE IV	WR	ENGINEERING	1964	771	386	1369	499	4989	998	998	0	0	0	0	0	0	0	0
Z] o Á Ç d } š o																			